

झारखंड राज्य वन विकास निगम लि०

J K P H



JHARKHAND STATE FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD. RANCHI

o"kl 2018 ekJ e ¼, d o"khz; ½ ea >kj [k. M jkT; ea l æghr gksuokyh dñnw i Ûk dh
^^ kq) , d eq r jkf' k^^ ds vk/kkj ij vfxæ fcØh rFkk 2017 , oa i wZ o"kkã ds l fonk
fu: fir@tir@jktl kr Hk. Mkfjr dñnw i Ûk dh fcØh

fo"k; l iph	i "V l d
1- fufonk l ipuk	3&4
2- fcØh dh 'kÙkz , oa ca/kst ¼d½ o"kl 2018 dh dñnw i fÙk; ka dh vfxæ fcØh ¼[k½ 2017 , oa i wZ o"kkã dh i jkuh i fÙk; ka dh fcØh	5&22 23&28
3- l fonk dk ik: i ¼d½ o"kl 2018 dh dñnw i fÙk; ka dh vfxæ fcØh ¼[k½ 2017 , oa i wZ o"kkã dh i jkuh i fÙk; ka dh fcØh	29&40 41&45
4- i knf' kd i ðks=@vãk i knf' kd i ðks= ¼ykw½ dh l iph	46&70
5- fufonkdj dk djkj ukek	71



>kj [k.M LVV Qk] LV MoyieW dk] i kjs'ku fy0
Jharkhand State Forest Development Corporation Ltd.
(A Govt. of Jharkhand undertaking)



Fax : 0651-2242444
Tel: 0651-2242464

dk; kY; % vij i z/kku eq[; ou l j {kd l g i dU/k funs'kd} >kj [k.M j kT; ou fodkl fuxe fy0
edku l a[; k&455/A, अशोक नगर, रोड नं०-5, राँची।

e-mail: md_jsfdc@yahoo.co.in // website: www. Jharkhand.gov.in/JSFDC
fufonk l ipuk l a[; k y0 o0 i0 i0 %d0 i0%&01@2018

o'kz 2018 ek] e ea >kj [k.M j kT; ea l x'ghr gksuokyh dUnw i Ukh dh vfxæ fc0h grq b&fufonk

l ipuk

विगत वर्ष की भांति वर्ष 2018 में झारखण्ड में संग्रहीत होने वाले केन्दू पत्ती की प्रचयवार "शुद्ध एक मुश्त राशि" के आधार पर अग्रिम बिक्री एवं पूर्व वर्षों के संविदा निरूपित/ जप्त/राज्यसात भण्डारित केन्दू पत्ती की बिक्री हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें वेब पोर्टल jharkhandtenders.gov.in पर ऑनलाईन निम्न विवरण अनुसार प्राप्त की जायेंगी।

निविदा चक्र (निविदा रिफरेंस सं०)	समय	ऑनलाईन निविदा प्रकाशन की तिथि	निविदा अभिलेख डाउनलोड करने की तिथि	निविदा समर्पण की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
प्रथम चक्र (KL/1(1)/2018)	प्रारम्भ 11.00 बजे पूर्वा० अन्त 5.00 बजे अप०	14.12.2017	14.12.2017 25.12.2017	17.12.2017 25.12.2017	29.12.2017
द्वितीय चक्र (KL/1(2)/2018)	प्रारम्भ 11.00 बजे पूर्वा० अन्त 5.00 बजे अप०	09.01.2018	09.01.2018 19.01.2018	11.01.2018 19.01.2018	23.01.2018
तृतीय चक्र (KL/1(3)/2018)	प्रारम्भ 11.00 बजे पूर्वा० अन्त 5.00 बजे अप०	03.02.2018	03.02.2018 14.02.2018	06.02.2018 14.02.2018	16.02.2018

क्रेता पंजीकरण पत्र, निविदा शुल्क, सत्यंकर राशि, निविदाकार का करारनामा की मूल प्रति एवं अपलोड किये गये अन्य दस्तावेज की एक प्रति निविदादाता निविदा खोलने के एक दिन पूर्व (11.00 बजे पूर्वाह्न) तक प्रमण्डलीय प्रबन्धक के कार्यालय में जमा करेंगे। समस्त इच्छुक निविदाकारों को ऑनलाईन निविदा भरने हेतु Digital Signature Certificate प्राप्त करना अनिवार्य है।

विस्तृत जानकारी यथा निविदा प्रपत्र, लॉट सूची, निविदाकार का करारनामा, निविदा से संबंधित शर्तें एवं बंधेज आदि वेब साइट jharkhandtenders.gov.in, www.jsfdc.in, www.jharkhand.gov.in/jsfdc में देखी जा सकती है। निविदादाताओं को सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाईन निविदा समर्पित करने के पूर्व निविदा प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। अधिक जानकारी के लिये वन निगम के प्रमण्डलीय एवं अंचलीय कार्यालयों से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/—

(डॉ० एच० एस० गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि०, राँची।

>kj [k.M LVV QkV LV Moyi eV dkV i kj's ku fy0]
j kph

1- o"K 2018 ekV e %, d o"khz % e >kj [k.M jkT; e l xghr gksuokyh dUnw पत्ती
dh ^^ kq) , d eq r jkf' k^^ ds vk/kkj i j vfxæ fcØh grq b&fufonk (E-Tender)
l ipuka

वर्ष 2018 मौसम (एक वर्षीय) में झारखण्ड राज्य में संगृहीत होनेवाली केन्दू पत्ती की अग्रिम बिक्री b&fufonk (E-Tender) द्वारा की जाएगी। अर्पण ^^ kq) , d eq r jkf' k^^ के आधार पर पूर्ण बिक्री के लिए प्रादेशिक प्रक्षेत्रवार/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रवार दिया जा सकेगा। इकाईवार निविदा मान्य नहीं होगी।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम में पंजीकृत क्रेता ही निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा केवल ऑन लाइन वेब पोर्टल jharkhandtenders.gov.in पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी, अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जायेगी। निविदा विहित प्रपत्र में वन निगम के किसी भी प्रमण्डल से संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए आनलाईन प्राप्त की जायेगी तथा अन्तिम तिथि के बाद समयानुसार खोली जायेगी।

केन्दू पत्ती प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र (प्रचय) संबंधी विवरणी संलग्न सूची के स्तम्भ-3 में अलग-अलग क्रमांकों पर अंकित है एवम् इसका प्रत्येक क्रमांक निविदा देने के लिए अलग-अलग एक पूर्ण एवं स्वतंत्र इकाई होगा।

प्रत्येक प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र (प्रचय) के लिए निविदा उस सत्यंकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो ^^>kj [k.M LVV QkV LV Moyi eV dkV i kj's ku fy0^^ के पक्ष में, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा R.B.I से Authorised Banks पर राँची में भुगतये हो, के साथ देनी होगी जो निविदा पत्र में उल्लेखित की गयी अर्पित ^^ kq) , d eq r jkf' k^^ के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार देय होगी।

Øekad	vfi r 'kq) , d eq r jkf' k %: i ; s e%	ns l R; æj jkf' k %: i ; s e%
1-	1 लाख रुपये तक	10,000.00
2-	1 लाख से अधिक 5 लाख तक	25,000.00
3-	5 लाख से अधिक 10 लाख तक	75,000.00
4-	10 लाख से अधिक 20 लाख तक	1,50,000.00
5-	20 लाख से अधिक 30 लाख तक	2,50,000.00
6-	30 लाख से अधिक 40 लाख तक	3,50,000.00
7-	40 लाख से अधिक 50 लाख तक	4,50,000.00
8-	50 लाख से अधिक	10,00,000.00

सत्यंकर राशि निगम के पक्ष में राँची में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही मान्य होगी। निविदा के साथ अपर्याप्त सत्यंकर राशि रहने पर निविदा अमान्य कर दी जायेगी। सत्यंकर राशि पूरी होनी चाहिए और निगम में क्रेता के साथ पूर्व वर्षों की बिक्री के विरुद्ध जमा राशि को सत्यंकर राशि/प्रतिभूति राशि में समायोजित करने/जमा करने के अनुरोध के साथ निविदा मान्य नहीं होगी।

निविदा प्रपत्र के साथ विस्तृत विक्रय सूचना, निविदादाता एकरारनामा का प्रारूप, बिक्री की शर्तें, संविदा का प्रारूप, प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों की सूची संबंधी सूचना वेब साईट jharkhandtenders.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

क्रेता पंजीकरण पत्र, निविदा शुल्क, सत्यंकर राशि, निविदाकार का करारनामा की मूल प्रति एवं अपलोड किये गये अन्य दस्तावेज की एक प्रति निविदादाता निविदा खोलने के एक दिन पूर्व तक प्रमण्डलीय प्रबन्धक के कार्यालय में जमा करेंगे, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

किसी प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र को खंडित करने, एक से अधिक प्रादेशिक प्रक्षेत्रों/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों को एक साथ मिलाकर बिक्री करने तथा किसी भी प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र को बिना पूर्व सूचना के बिक्री से वापस लेने का अधिकार वन निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा प्रारम्भ होने के पूर्व निविदा सूचना/शर्त एवं बंधेज में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है जिसे शुद्धि पत्र (corrigendum) के रूप में पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

निगम के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि कोई क्रेता, निविदादाता, वन निगम में व्यतिक्रमी क्रेता (Defaulting purchaser) रहे हों या उन्हें कृष्ण-चिन्हित किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा/अर्पण की मान्यता किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार वन निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

निगम के मुख्यालय/अंचलीय/प्रमण्डलीय कार्यालय से बिक्री की स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राप्त करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। **अंदर निविदादाता द्वारा संविदा हेतु पूरी प्रतिभूति राशि जमा नहीं होने पर बिक्री रद्द** तथा सत्यंकर राशि जप्त हो जाएगी। इसके लिए क्रेता को कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा।

प्रादेशिक प्रक्षेत्रों/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों में केन्दू पत्ती की बिक्री सम्बन्धी विस्तृत सूचना वेब साईट jharkhandtenders.gov.in एवं झारखण्ड राज्य वन विकास निगम के **website: www.Jharkhand.gov.in/jsfdc**

ह0/-

(डॉ० एच० एस० गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि०, राँची।

>kj [k.M LVSV QkVj LV Mpyi eV dkV i kj s' ku fy0] j kph
o"kl 2018 ekV e ¼, d o"khz ½ ea >kj [k.M jkT; ea l x'ghr gksuokyh dUnw i Ukh dh
" kq) , d eq r jkf' k" ds vk/kkj i j vfxæ fcØh grq

2 ¼d½ fcØh dh 'kræ , oa ca/kst ¼Hkkx&1½
¼, d o"khz; fcØh½

¼d½ i kDdFku

1. वर्ष 2018 में संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र पर (क) सरकारी वन भूमि से तथा (ख) निजी केन्दू पत्ती उत्पादक क्षेत्र से लाए गए केन्दू पत्तों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राशि देकर केन्दू पत्ता संगृहीत किया जाएगा और इन केन्दू पत्तों को हरे (Green) हालत में ही केन्दू पत्ती संग्राहक समिति/वन विकास निगम द्वारा तत्संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए नियुक्त/अधिकृत क्रेता को परिदान किया जाएगा, ताकि क्रेता द्वारा परिदत्त पत्तों का उपचार, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि उसके स्वयं के व्यय पर किया जा सके।
2. इच्छुक निविदाकारों को सलाह दिया जाता है कि वे उन इकाईयों/प्रादेशिक प्रक्षेत्रों/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, जिसके लिए निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तथा इनकी सीमा तथा संग्रहण केंद्रों के संबंध में आश्वस्त हो लें। बाद में निविदाकार द्वारा किसी प्रकार का उठाया गया विवाद मान्य नहीं होगा। इकाईयों के क्षेत्र से संबंधित जानकारी एवं संग्रहण केंद्रों के संबंध में सूचनाएँ संबंधित प्रमंडलीय/प्रक्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

¼[k½ i fj Hkk"kk, j

इस निविदा सूचना/शर्तें एवं बंधेज में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. "अधिनियम" से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त fcgkj केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 से है।
2. "नियमावली" से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त fcgkj केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) नियमावली, 1972 से है।
3. "संग्रहण व्यय" से तात्पर्य है कि प्राथमिक संग्रहणकर्ता को सरकार द्वारा निर्धारित देय राशि केन्दू पत्ती के उपचार का खर्च, खलिहान व्यय, बोरे की व्यवस्था एवं उसमें केन्दू पत्ती कस्ती का खर्च, परिवहन एवं भंडारीकरण खर्च तथा अन्य सभी संबंधित व्यय इत्यादि।
4. "संग्रहण कर्ता" से तात्पर्य ऐसे सभी व्यक्तियों से है, जो सरकारी वन भूमि अथवा निजी भूमि से केन्दू पत्ते तोड़कर निर्धारित संग्रहण केंद्र पर प्रस्तुत करते हैं।
5. "संग्रहण काल" से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की माह अप्रैल से माह जुलाई तक की अवधि से है।

6. "शुद्ध एक मुश्त राशि" से तात्पर्य प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र विशेष की अधिसूचित मात्रा तक की केन्दू पत्ती के लिए स्वीकृत "एक मुश्त राशि" से है, जिसमें केन्दू पत्ती का संग्रहण व्यय व देय कर एवं शुल्क (Fee) सम्मिलित नहीं है, जो निविदाकार अपनी निविदा में "ऑफर" करेगा।
7. "क्रय मूल्य" से तात्पर्य प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की स्वीकृत "शुद्ध एक मुश्त राशि" तथा प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के केन्दू पत्ता के संग्रहण व्यय के उस भाग, जो क्रेता संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक को भुगतान करेगा, के योग से है।
8. "अधिसूचित मात्रा" से तात्पर्य है किसी प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र/इकाई के लिए केन्दू पत्ती के अनुमानित उत्पादन की मात्रा (मानक बोरों में) जिसकी सूचना केन्दू पत्ती विक्रय पुस्तिका में प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की सूची के स्तंभ छह (6) में दी गई है।
9. "अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा" से तात्पर्य केन्दू पत्ती की उस मात्रा से है जो किसी प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र विशेष के लिए केन्दू पत्ती की अधिसूचित मात्रा के अतिरिक्त उस प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र से संगृहित हो।
10. "अतिरिक्त राशि" से तात्पर्य अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा के लिए निगम द्वारा संबंधित क्रेता से वसूल की जानेवाली राशि (जिसमें केन्दू पत्ती का संग्रहण व्यय व देय कर एवं शुल्क सम्मिलित नहीं है) से है, जो "शुद्ध एक मुश्त राशि" में अधिसूचित मात्रा से
11. "सरकार" से तात्पर्य झारखण्ड सरकार से है।
12. "देय कर" से तात्पर्य प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के केन्दू पत्तों के क्रय मूल्य पर बिक्री कर, एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी करों एवं शुल्क से है।
13. "दोहरा ताला (डबल लॉक)" से तात्पर्य है कि गोदाम में संबंधित क्रेता का एक ताला और साथ ही निगम का ताला संयुक्त रूप से लगा रहेगा।
14. "केन्दू पत्ता सग्राहक समिति" से तात्पर्य है संस्था निबंधन अधिनियम, 1860/स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन गठित प्राथमिक सग्राहको की समिति।
15. उन शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का जो ऊपर परिभाषित नहीं है, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं का अर्थ वही होगा जो उनके लिए अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है।

1/2 i ath; u , oa fufonk dh ca/kst , oa 'kr

1. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने से ही यह विदित होगा कि उन्हें झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० जिसे अब "निगम" से सम्बोधित किया जाएगा, द्वारा निर्धारित बिक्री एवं संविदा की सभी शर्तें बिना किसी शर्त के मान्य हैं। निगम के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह निविदा के पूर्व बिक्री अथवा संविदा की किसी भी

शर्त में जोड़, घटाव अथवा संशोधन कर सके। निविदा एवं बिक्री की सभी शर्तें एवं बंधेज क्रेता के साथ की जाने वाली निविदा के भाग होंगे।

2. (क) प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु प्रत्येक संग्रहण मौसम के लिये निविदा शुल्क ₹0 5000/- (पाँच हजार) एवं इस पर सरकार द्वारा निर्धारित देय GST 18 प्रतिशत अर्थात् ₹0 900/- (नौ सौ) कुल ₹0 5900/- मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0" के नाम राँची में भुगतये हो, जमा करना होगा तभी वह निविदा में भाग लेने हेतु अनुमान्य होगा।

(ख) केन्दू पत्ती की बिक्री में भाग लेने वाले क्रेता को 3000/- (तीन हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0" के नाम राँची स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा R.B.I से Authorised Banks पर राँची में भुगतये हो, जमाकर वन निगम के विहित प्रपत्र में भरकर निबंधन कराना होगा। निबंधन/ निबंधन के नवीकरण हेतु प्रपत्र निगम के अंचल/प्रमण्डलीय कार्यालय से 250/- (दो सौ पचास रूपये) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। केवल निबंधित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ही बिक्री में भाग ले सकते हैं। ऐसा निबंधन कराने के उपरान्त ही वे वन विकास निगम द्वारा की जाने वाली सभी लघु वन पदार्थों की बिक्री में भाग ले सकेंगे।

अनिबंधित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का निविदा में दिया गया अर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदादाता को निबंधन/निबंधन के नवीकरण के विहित प्रपत्र में अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित 1, 2, 3 तथा अन्य में से किसी एक कागज की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। संलग्न की गई सत्यापित प्रति की मूल प्रति निबंधन/निबंधन के नवीकरण के समय वन निगम के सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसे अभिलेख की सम्पुष्टि के बाद क्रेता को लौटा दिया जाएगा।

1. आयकर विभाग का स्थायी लेखा संख्या (PAN) की अभिप्रमाणित प्रति।
2. स्थायी वाणिज्य कर संख्या के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
3. निबंधन प्रपत्र पर निबंधन कराने वाले व्यक्ति का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाना होगा।
4. आधार कार्ड (U.I.D. Card) की अभिप्रमाणित प्रति।
5. चुनाव आयोग द्वारा जारी परिचय-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
6. राशनकार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।
7. क्रेता के नाम से निर्गत टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति।
8. संबंधित क्षेत्र के पोस्टमास्टर द्वारा क्रेता के पते के संबंध में जारी पहचान-पत्र।
9. जिलाधिकारी/सिविल एस0 डी0 ओ0/सर्किल ऑफिसर/बी0 डी0 ओ0 एवं संबंधित विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा क्रेता के संबंध में जारी किये गये पहचान-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

10. पुराने क्रेता जिन्होंने पूर्व में पंजीकरण कराया है, उन्हें पुनः फार्म भरकर निबंधन कराना होगा। निबंधन वैद्यता एक कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के लिए होगी। पुनः निबंधन/नवीकरण के समय निर्धारित प्रपत्र पर पुनः निबंधन करानेवाले व्यक्ति का Lo&gLrk{kfj r पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाना होगा।
3. अधिनियम तथा नियमावली के समस्त उपबंध तत्समय प्रवृत्त तथा जहाँ तक कि वे क्रेताओं के ऊपर लागू होते हैं, निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के भाग के रूप में विशेषतः लागू होंगे।
4. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ विस्तृत विक्रय सूचना, निविदादाता एकरारनामा का प्रारूप, बिक्री की शर्तें, संविदा का प्रारूप, प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों की सूची संबंधी सूचना वेब पोर्टल jharkhandtenders.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

fuEufyf[kr 'kÜkk rFkk ca'kstka ij 31 ekpl 2019 dks l eklr gksuokyh vof/k ds fy, ou fuxe }kjk l æghr dh tkuskyh dñnw iÜkh ^^ kq) , d eñr jkf'k^ ds vk/kkj ij Ø; djus ds fy, b&fufonk, j vkef=r dh tkrh gA

1. इसमें संविदा की कालावधि 31 मार्च 2019 तक होगी।
- 2- **निविदाकार स्वयं यह सत्यापित तथा सुनिश्चित करेगा कि निविदा पत्र के** l kFk ml us fufonkdkj djkjuek i klr dj fy; k gA D; kfd fufonkdkj djkjuek gLrk{kfj r dj fufonk ds l kFk l efi ñr djuk vfuok; l gS l ñf/kr dkxt&i =k dks i klr djus dk i w kZ mÜkj nkf; Ro fufonkdkj dk gksxA
- 3- निविदाकार प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों की सूची के स्तम्भ-3 में मुद्रित प्रत्येक क्रमांक के प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए अलग-अलग "शुद्ध एक मुश्त राशि" का अपना अर्पण निर्धारित कॉलम में अंकित कर प्रस्तुत करेंगे।
4. यदि कोई निविदाकार अपनी निविदा में एक ही प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए एक से अधिक अर्पण करता है, तो उसके द्वारा दिए गए केवल उच्चतम अर्पण पर ही विचार किया जाएगा और निचले अर्पण के संबंध में यह माना जाएगा कि यह प्रस्तुत ही नहीं किया गया।
5. वैसे क्रेता/निविदादाता जो व्यतिक्रमी क्रेता (Defaulting Purchaser) रहे हों या जिन्हें निगम द्वारा कृष्णाचिन्हित किया गया हो या वे नाबालिग हों या पागल घोषित किया गया हो उनके द्वारा दिये गये अर्पण को अमान्य समझा जाएगा तथा उनके निबंधन को रद्द कर दिया जाएगा।
6. सभी क्रेता वन निगम के किसी भी पत्राचार को प्राप्त करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी क्रेताओं को अपने-अपने पत्राचार का सही पता, मोबाईल न0 एवं ई मेल एड्रेस वन निगम को देना होगा, जिसपर सभी पत्राचार भेजा जा सके। यदि किसी भी प्रकार का

पत्राचार क्रेता द्वारा दिए गए पते पर भेजने पर उन्हें प्राप्त नहीं होता है अथवा वापस हो जाता है तो उसके लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा। क्रेता द्वारा दिए गए पते के गलत होने पर निबंधन रद्द कर दिया जाएगा तथा क्रेता को कृष्णचिन्हित भी किया जा सकता है।

7. (क) प्रत्येक प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए निविदा उस सत्यंकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०" के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा R.B.I से Authorised Banks पर राँची में भुगतये हो, के साथ देनी होगी। सत्यंकर राशि निविदा पत्र में उल्लेखित की गयी अर्पित "शुद्ध एक मुश्त राशि"के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार देय होगी :-

Øekad	vfir 'kq) , d eq r jkf' k ¼: i ; s e½	ns R; æj jkf' k ¼: i ; s e½
1-	1 लाख रुपये तक	10,000.00
2-	1 लाख से अधिक 5 लाख तक	25,000.00
3-	5 लाख से अधिक 10 लाख तक	75,000.00
4-	10 लाख से अधिक 20 लाख तक	1,50,000.00
5-	20 लाख से अधिक 30 लाख तक	2,50,000.00
6-	30 लाख से अधिक 40 लाख तक	3,50,000.00
7-	40 लाख से अधिक 50 लाख तक	4,50,000.00
8-	50 लाख से अधिक	10,00,000.00

निविदा के साथ अपर्याप्त सत्यंकर राशि रहने पर निविदा अमान्य होगा। सत्यंकर राशि पूरी होनी चाहिए और वन निगम में क्रेता के साथ पूर्व वर्षों की बिक्री के विरुद्ध जमा राशि को सत्यंकर राशि/प्रतिभूति राशि में समायोजित करने/जमा करने के अनुरोध के साथ निविदा मान्य नहीं होगी। सत्यंकर राशि के लिए निर्धारित उपरोक्त स्लैब (Slab) एक प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए है।

(ख) सत्यंकर राशि पर किसी भी दशा में कोई C; kt ugha fn; k tk, xkA

8. (i) निविदाकार, निविदा में दर्शाई गई प्रत्येक प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए ऐसी "शुद्ध एक मुश्त राशि" का अर्पण करेगा, जिसके स्वीकार होने पर वह प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में अधिसूचित मात्रा तक संगृहीत होनेवाले केन्दू पत्ती का क्रेता नियुक्त किया जाएगा। परन्तु यदि उस प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक केन्दू पत्ती का संग्रहण होता है, तो उस "अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा" का भी परिदान क्रेता को अनिवार्य रूप से लेना होगा और उस पर

बिक्री/संविदा के सभी प्रांसगिक शर्तें स्वतः लागू होंगी तथा क्रेता उस केन्दू पत्ती की आपूर्ति भण्डारण के पश्चात् "अतिरिक्त राशि" का भुगतान करके प्राप्त करेगा।

(ii) किसी प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र विशेष के लिए अधिसूचित मात्रा के लिए ही "शुद्ध एक मुश्त राशि" का अर्पण निविदादाताओं को देना होगा। यदि क्रेता को संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र से उसकी अधिसूचित मात्रा से अधिक केन्दू पत्ती का परिदान वन निगम द्वारा किया जाता है, तो उसे क्रेता अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा। उस "अतिरिक्त मात्रा" (अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा) के लिए क्रेता को प्रति मानक बोरा के हिसाब से "अतिरिक्त राशि" निगम को सभी कर एवं फी के साथ जमा करना होगा। केन्दू पत्ती की इस "अतिरिक्त संग्रहण" की मात्रा के लिए संग्रहण व्यय (जिस हद तक लागू हो) भी क्रेता सभी कर एवं फी सहित निगम को देगा। "अतिरिक्त राशि" की गणना निम्नवत् की जाएगी :-

"क" रुपये प्रति मानक बोरा

$\frac{\text{Ork } \}kjk \text{ fufonk ea vfi } r \text{ } ^{\wedge} kq)}{, d \text{ e} \} r \text{ } jkf' k^{\wedge}} =$ (गणना द्वारा "शुद्ध एक मुश्त राशि" के
संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र आधार पर प्राप्त दर प्रति मानक बोरा)
के लिए अधिसूचित मात्रा

"अतिरिक्त राशि" प्रति मानक बोरा d@2 रुपये होगी जिसका सभी कर एवं शुल्क सहित भुगतान क्रेता को करना होगा।

(iii) प्रत्येक निविदाकार निविदा प्रपत्र भरकर वाँछित अन्य प्रपत्रों के साथ इस निविदा सूचना के साथ संलग्न "निविदाकार करारनामा" निष्पादित कर उसे निविदा के साथ संलग्न करते हुए प्रस्तुत करेगा।

(iv) निविदा के साथ उपर्युक्त "निविदाकार का करारनामा" निष्पादित नहीं करने की अवस्था में ऐसी निविदा पर विचार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

9. (i) जिस निविदाकार की निविदा खोल दी गई है वह विभिन्न प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के अपने अर्पण पर तथा निविदा सूचना के प्रावधानों तथा शर्त पर तब तक बाध्य होगा जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश नहीं दे दिए जाते। इस शर्त का उल्लंघन करने पर जमा सत्यंकर राशि की सम्पूर्ण रकम जप्त कर ली जाएगी तथा निगम संबंधित निविदादाता को ऐसी कालावधि के लिए जो i kqo o"kl | s vf/kd u gk} कृष्णाचिन्हित कर सकेगा।

- (ii) ऐसे प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र जिनके लिए निविदाकार ने "शुद्ध एक मुश्त राशि" का अर्पण दिया है उनमें से एक/अनेक जो भी इकाई/इकाईयों/प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों की स्वीकृति दी जाए, निविदाकार उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।
10. (i) प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों के लिए अलग-अलग "शुद्ध एक मुश्त राशि" का अर्पण किया जाएगा। निविदा में दर के अर्पण में कोई कर या शुल्क आदि सम्मिलित नहीं होगा।
- (ii) प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रों को क्षेत्रवार बिक्री हेतु रखा गया है, उनके लिए इकाईवार निविदा मान्य नहीं होगा।
- (iii) पूर्ण विक्रय के आधार पर बिक्री के मामलों में सिर्फ प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्रवार ही अर्पण विचारणीय होगा।
11. यदि कोई निविदाकार अपनी निविदा में एक ही प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए एक से अधिक दर प्रस्तुत करते हैं या एक से अधिक निविदा देते हैं तो उनके द्वारा उस प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए अर्पित उच्चतम दर पर ही विचार किया जाएगा।
12. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि जो उनके वैध मुख्तयारनामा (पावर ऑफ एटर्नी) के धारक हों तथा वैसे कम्पनी जो इंडियन कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत निबंधित हों, के कम्पनी सचिव या प्रबंध निदेशक या कम्पनी द्वारा प्राधिकृत निदेशक तथा वैसे निबंधित पार्टनरशीप फर्म जिसका निबंधन इंडियन पार्टनरशीप एक्ट के तहत हुआ हो, के प्रबन्ध भागीदार या कोई भी प्राधिकृत भागीदार को निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। पावर ऑफ एटर्नी का धारक (मुख्तयारनामा) उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त तभी मान्य होगा जब संबंधित व्यक्ति (पावर ऑफ एटर्नी का धारक) का एक पासपोर्ट साईज का फोटो किसी राजपत्रित पदाधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के पदाधिकारी द्वारा हाल में अभिप्रमाणित/सत्यापित किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।

पावर ऑफ एटर्नी, सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉरपोरेशन तथा पार्टनरशीप डीड आदि के मूल कागजात की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ निगम के पदाधिकारियों के समक्ष निविदा खोलते समय प्रस्तुत करना होगा। यदि उपर्युक्त प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं

किया जाता है तो निविदा रद्द की जा सकती है। कागजात की जाँच के बाद अभिप्रमाणित प्रति रखकर मूल प्रति वापस कर दी जाएगी। वैसे कम्पनी या भागीदार फर्म जो नियमतः निबंधित नहीं हो, की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदादाता यदि वे स्वयं हों, को अपनी पहचान के चिन्ह के रूप में किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित अपने हस्ताक्षर की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

13. प्रत्येक निविदाकार ई-निविदा के निर्धारित प्रपत्र में आनलाइन अन्य समस्त वाँछित प्रपत्रों के साथ निविदा प्रस्तुत करेंगे।
14. यदि किसी विशेष प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए एक ही दर का अर्पण एक से अधिक निविदाकारों द्वारा दिया जाता है तो उस प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की बिक्री हेतु पहले प्राप्त अर्पण को प्राथमिकता दी जायेगी। इस संबंध में निगम द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया संबंधित निविदाकारों पर बाध्यकारी होगी।
15. (1) निगम के मुख्यालय/अंचलीय/प्रमण्डलीय कार्यालय से बिक्री की स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राप्त करना निविदादाता की जिम्मेवारी होगी।
(2) निगम द्वारा बिक्री की स्वीकृति जारी किए जाने पर क्रेता एवं निगम के बीच संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के केन्द्रीय पत्ती के संबंध में निविदा अस्तित्व में आ गयी मानी जाएगी तथा निविदाकार उस केन्द्रीय पत्ती प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र का क्रेता माना जाएगा। असफल निविदाकारों को सत्यंकर राशि, बिक्री की स्वीकृति पर निर्णय लिए जाने के बाद लौटा दी जाएगी।
(2) निविदादाता की यह जिम्मेवारी होगी कि वे संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक के कार्यालय में सम्पर्क कर बिक्री की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचना प्राप्त करें। क्रेता को समय पर सूचना प्राप्त नहीं होने के संबंध में जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी।
17. "निगम" को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि :-
(क) उच्चतम अर्पण को स्वीकृत/अस्वीकृत कर दे।

- (ख) किसी भी प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र को अपने विचार से खंडित कर दे अथवा एक से अधिक प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र को मिलाकर बिक्री करे।
- (ग) किसी भी प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र को बिना पूर्व सूचना के बिक्री से वापस ले ले।

18. (i) किसी प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के लिए इस प्रकार नियुक्त किया गया संबंधित क्रेता करारनामे पर हस्ताक्षर करने के पूर्व करार के बंधनों तथा शर्तों एवं अधिनियम तथा इन शर्तों के उपबंधों के उचित अनुवर्तन के लिए गारंटी के तौर पर प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि जमा करेगा जो स्वीकृत "शुद्ध एक मुश्त राशि" के 25% के बराबर हो। इस 25 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत राशि क्रेता को बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0" के नाम राँची स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा R.B.I से Authorised Banks पर देय हो। अवशेष 15 प्रतिशत प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में देय होगा जो केवल 31.03.2018 तक मान्य होगा। दिनांक 31.03.2018 तक बैंक गारंटी के समपरिमाण राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निगम के पक्ष में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट से राशि जमा करने पर दिनांक 31.03.2018 के बाद बैंक गारंटी मुक्त कर दिया जाएगा। 15 प्रतिशत प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 31.03.2018 तक प्राप्त नहीं होने पर क्रेता द्वारा पूर्व में समर्पित बैंक गारंटी से उक्त राशि का समायोजन किया जाएगा। इस प्रतिभूति राशि में पूर्व में जमा की गयी सत्यंकर राशि/आंशिक प्रतिभूति राशि को समायोजित किया जा सकेगा। क्रेता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा किए जाने के उपरान्त उसे निगम द्वारा आपूर्ति किए गए न्यायीकेत्तर मुद्रा (ननजुडिशियल स्टाम्प) पर हस्ताक्षर कर संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक के कार्यालय में क्रेता को करारनामा (संविदा) सम्पादित करनी होगी।

(ii) निगम की ओर से निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी सहित पदोत्तराधिकारी, प्रतिनिधि और अभिहस्तांकित संविदा पर हस्ताक्षर करेंगे।

(iii) क्रेता का कार्य संतोषजनक रहने पर उनके अनुरोध पर प्रतिभूति राशि का समायोजन बिक्री के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त में क्रमशः 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत किया जा सकेगा।

(iv) क्रेता द्वारा उक्त वाँछित प्रतिभूति राशि निर्धारित अवधि में जमा कर क्रेता का करारनामा (संविदा) सम्पादित नहीं किए जाने पर संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के विरुद्ध जमा की गई सत्यंकर राशि/आंशिक प्रतिभूति राशि को जप्त किया जा सकेगा तथा क्रेता को कृष्णचिन्हित किया जा सकेगा। इस प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की पुनः बिक्री करने पर यदि निगम को कोई घाटा होता है तो उस राशि को क्रेता से वसूल किया जा सकेगा।

19. Ørk }kjk i fjnku yuk] Ø; eM; dk Hkpxrku rFkk dñnw i Ûkh dh vki frl %&

(i) क्रेता करारनामे के निष्पादन के बाद संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक द्वारा निश्चित संग्रहण केन्द्रों पर तथा संविदा चालू रहने की अवधि में संबंधित प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में प्रख्यापित किए जानेवाले संग्रहण केन्द्रों पर संगृहीत सभी केन्दू पत्ती का परिदान लेगा। ftl ds rgr l xg.k dñnk %QkM+ k% ij gjs dñnw i Ûkh ds i ksyk ds : i e 48 %vM+kyhl % ?k. Vs ds vñj Ørk dks i fjnku yuk gkxkA

(ii) संग्रहण प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पूर्व क्रेता द्वारा सम्बन्धित प्रमण्डलीय प्रबंधक के कार्यालय में क्रय किये गये प्रचय के अधिसूचित मात्रा के 50 प्रतिशत के संग्रहण मूल्य की राशि संबंधित प्रमण्डल के बैंक खाते में जमा की जायेगी। संग्रहण प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के बाद प्रमण्डलीय प्रबंधक के आकलन के अनुसार अवशेष संग्रहण मूल्य क्रेता द्वारा प्रमण्डलीय प्रबंधक के बैंक खाता में दो दिनों के अन्दर जमा किया जायेगा। इस क्रय मूल्य के भाग के ऊपर देय सभी कर एवं शुल्क का भुगतान उसे संबंधित प्रमण्डलीय कार्यालय में साथ-साथ जमा कर देना होगा। समय पर कर एवं शुल्क की वसूली की जिम्मेवारी प्रमण्डलीय प्रबन्धक की होगी। हरा पत्ता प्राप्त करने के पश्चात् उनका समस्त उपचार, बोरो में भराई, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य निगम के पदाधिकारी/कर्मचारी की देख-रेख में स्वयं क्रेता को करना होगा और इन समस्त कार्यों पर आने वाला खर्च क्रेता स्वयं वहन करेगा। राज्य सरकार/वन निगम द्वारा निर्धारित नियमित व्यय के अलावे कोई भी व्यय यदि क्रेता द्वारा किसी को/किसी प्रकार से किया जाता है तो उसकी देनदारी/जिम्मेवारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वन निगम/सरकार पर नहीं होगी।

(iii) वन निगम द्वारा क्रेता को निर्धारित केन्दू पत्ती के संग्रहण केन्द्रों पर संगृहीत केन्दू पत्ती के परिदान देने के एवज में क्रेता से प्राप्त संग्रहण मूल्य की राशि झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0 के द्वारा पंजीकृत "ग्रीन कार्डधारी" प्राथमिक संग्राहकों को ही किया जाना है। मास्टर रौल संधारण के क्रम में प्राथमिक संग्रहणकर्ता के ग्रीन कार्ड का

क्रमांक एवं क्रय मूल्य भुगतान से संबंधित राशि की प्रविष्टि मास्टर रोल में अंकित किया जाना अनिवार्य है। यदि संग्रहण केन्द्रों पर निगम के पदाधिकारियों/क्रेताओं द्वारा यह पाया जाता है कि कोई प्राथमिक संग्राहक वन निगम के अधीन पंजीकृत नहीं है एवं उसका ग्रीन कार्ड जारी नहीं किया गया है तो वैसे संग्राहकों का ग्रीन कार्ड अविलम्ब जारी कर उन्हें पंजीकृत किया जाएगा एवं इसके उपरान्त उन्हें संग्रहण मूल्य का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक प्रक्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था के लिए संबंधित वनोपज निरीक्षक पूर्ण जवाबदेह होंगे।

(iv) क्रेता द्वारा केन्दू पत्ती की कस्ती के लिए व्यवहार किए जानेवाले बोरों पर निगम द्वारा निर्धारित नमूने के अनुसार छपायी करायी जाएगी।

(v) क्रेता द्वारा संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक से क्रमांक प्राप्त कर इसे ऐसे प्रत्येक बोरे में स्टेनशील से अंकित कराया जाएगा। क्रेता केन्दू पत्ती की कस्ती एवं भण्डारण के लिए केवल ऐसे क्रमांकित बोरों का ही व्यवहार करेगा।

20. संबंधित इकाई की सीमा के अन्तर्गत प्रमण्डलीय प्रबन्धक द्वारा निर्धारित स्थलों को छोड़कर अन्य स्थलों पर सामान्यतया संग्रहण केन्द्र नहीं खोला जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रमण्डलीय प्रबन्धक से लिखित आदेश प्राप्त कर ही अन्य स्थानों पर संग्रहण केन्द्र खोला जा सकता है।

21. (i) फाँड़ी से किसी भी स्थिति में आपूर्ति नहीं दी जाएगी।

(ii) सभी मामलों में क्रेता को परिदान लेकर केन्दू पत्ती को आवश्यक उपचार के पश्चात् परिवहन कर वन निगम द्वारा पंजीकृत/अनुमोदित भण्डार में रखना होगा। दलन i Ûkh dk Hk.Mkj .k iR; d o"kl vf/kd l s vf/kd fnukd 31 tÿkbl rd l eklr gks tkuk pkfg, A सम्पूर्ण भण्डारण समाप्त होने के पूर्व ही यदि क्रेता "शुद्ध एक मुश्त राशि" एवं अन्य देय राशि का सभी कर एवं शुल्क सहित भुगतान एक किश्त में ही वन निगम को कर देता है तो उसे संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के अधिसूचित मात्रा तक की केन्दू पत्ती की आपूर्ति भण्डार से प्राप्त करने की छूट रहेगी तथा उसे "अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा" की आपूर्ति संग्रहण मौसम/भण्डारण समाप्त होने के बाद ही क्रेता को की जाएगी, जिसके लिए क्रेता द्वारा अतिरिक्त राशि एवं संग्रहण व्यय (जिस हद तक लागू हो) का सभी करों एवं शुल्क सहित भुगतान वन निगम को किया जाएगा।

संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र विशेष में अधिसूचित मात्रा से अधिक परिदत्त केन्दू पत्ती के प्रत्येक मानक बोरा के लिए Ørk dks ¼d@2½ : 0 ifr ekud Ckj k ("शुद्ध एक मुश्त राशि" के आधार पर अधिसूचित मात्रा तक की केन्दू पत्ती के प्रति

मानक बोरे के दर का 50 प्रतिशत) (कृपया बिक्री शर्तों की कंडिका 8 (i) देखें) की दर से "अतिरिक्त राशि" सभी कर एवं शुल्क सहित, वन निगम को देनी होगी और इसके विरुद्ध केन्दू पत्ती की "अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा" की आपूर्ति भण्डार से क्रेता को की जाएगी।

22. क्रेता को परिदत्त केन्दू पत्ती सामान्यतः संबंधित प्रमण्डल के अन्तर्गत वन निगम द्वारा पंजीकृत/अनुमोदित गोदाम/गोदामों में दोहरे ताले में रखना अनिवार्य होगा। गोदाम/गोदामों में वन निगम का एक ताला एवं क्रेता का एक ताला अनिवार्य रूप से लगा रहेगा। यदि क्रेता परिदान द्वारा प्राप्त किए गए केन्दू पत्ती का भण्डारण संबंधित प्रमण्डल की सीमा के बाहर स्थित गोदाम/गोदामों में विशेष परिस्थिति में करना चाहते हैं तो उन्हें संविदा सम्पादित करने के तुरंत बाद संविदा की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन देकर निगम मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उपर्युक्त अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रेता के ऐसे गोदाम/गोदामों का पंजीकरण नियमानुसार प्रमण्डलीय प्रबन्धक द्वारा किया जा सकेगा और संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक द्वारा पारगमन अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकेगा। क्रेता को वन निगम से परिदान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले केन्दू पत्ती के भण्डारण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले गोदाम/गोदामों का पंजीकरण ससमय नियमानुसार गोदाम में जिस प्रमण्डल की केन्दू पत्ती है, उस प्रमण्डलीय कार्यालय में कराना होगा तथा इसकी सूचना उस प्रमण्डल को भी दी जायेगी जिसके कार्य क्षेत्र में गोदाम अवस्थित है। गोदाम/गोदामों के पंजीकरण के समय क्रेता द्वारा संबंधित गोदाम मालिक के साथ किए गए करारनामा, जिसमें गोदामों की स्थिति, स्थान, भण्डारण क्षमता, गोदाम भाड़े का दर आदि का पूर्ण विवरण अंकित हो, की एक प्रति संबंधित प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेख हेतु जमा करना होगा। यदि गोदाम में अन्य प्रमण्डल के केन्दू पत्ती का भण्डारण क्रेता द्वारा किया जाता है तो वैसी स्थिति में गोदाम का पंजीकरण करने वाले प्रमण्डलीय प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वे संबंधित गोदाम के पंजीकरण के कागजात एवं क्रेता से प्राप्त गोदाम मालिक एवं क्रेता के साथ उक्त करारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक जिनके कार्य क्षेत्र के केन्दू पत्ती की खरीद क्रेता द्वारा की गई है, को समय पर उपलब्ध करा देंगे।

यदि क्रेता परिदत्त केन्दू पत्ती की "शुद्ध एक मुश्त राशि" (तथा अतिरिक्त राशि) किशतों में भुगतान कर आपूर्ति लेने की सुविधा चाहता है तो संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र से सम्पूर्ण परिदत्त एवं भण्डारित केन्दू पत्ती के लिए सम्पूर्ण "शुद्ध एक मुश्त राशि" तथा "अतिरिक्त राशि" (यदि अधिसूचित मात्रा से अतिरिक्त मात्रा में केन्दू पत्ती का परिदान उस प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में हुआ हो, तो) का सभी कर

एवं शुल्क सहित भुगतान चार बराबर किशतों में करते हुए समानुपातिक मात्रा में केन्दू पत्ती की आपूर्ति किशतों में प्राप्त कर सकता है। किशतवार भुगतान के मामले में केन्दू पत्ती की आपूर्ति अंतिम भण्डारण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही की जाएगी।

1/2 Ørk l eLr i fj nÜk ek=k ds fy, jkf'k dk Hkxrku fuEukuq kj djsxk %&

(क) “शुद्ध एक मुश्त राशि” तथा “अतिरिक्त राशि” का भुगतान निम्नांकित तिथियों तक चार बराबर किशतों में संबंधित प्रमण्डलीय कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो “झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०” के पक्ष में राँची में भुगतेय हो, करना होगा। क्रय मूल्य पर देय कर एवं शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो “झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०” के पक्ष में संबंधित प्रमण्डल के मुख्यालय स्थान पर भुगतेय हो, करना होगा। उक्त राशि का भुगतान संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक, अपने स्तर से संबंधित विभाग को करेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही प्रमण्डलीय प्रबन्धक की होगी।

fd' rka dk fooj .k	jkf'k tek djus dh vfre frffk	vki frl i klr djus dh frffk
प्रथम	16.08.2018	15.09.2018
द्वितीय	16.10.2018	15.11.2018
तृतीय	16.12.2018	15.01.2019
चतुर्थ	16.02.2019	15.03.2019

1/2 देय तिथियों पर किशतों का या अन्य किसी देय राशि का भुगतान न करने पर समय-समय पर Hkkj rh; fj tol cfd@LVSV Ck&d vkiD bf.M; k द्वारा निर्धारित pkyll cfd C; kt dh nj से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जाएगा।

1/2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबन्ध निदेशक, राँची वन निगम को यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी विशेष परिस्थिति में निर्धारित किशतों पर पुनर्विचार करें।

1/2 फाँडी पर परिदान लिए गए तथा गोदाम में दोहरे ताले (डबल लॉक) में रखे केन्दू पत्ती की आपूर्ति होने तक ou fuxe ds i ; bsk.k ea l g {kk vkfn dh l Ei wkl ftEeokjh l rcf/kr Ørk dh gksxA

1/2 उस समय तक, जबतक गोदाम में रखे गये केन्दू पत्ते के विरुद्ध सम्पूर्ण रकम जमा नहीं हो जाती है और क्रेता सम्पूर्ण पत्ती की आपूर्ति प्राप्त नहीं कर लेता है, प्रत्येक गोदाम पर नियंत्रण के लिए क्रेता पर्यवेक्षण व्यय की राशि हर माह अग्रिम रूप में संबंधित प्रमण्डलीय कार्यालय में जमा करेगा, tks 2000@&दो हजार रुपये मात्र) : i ; k ifr Hk.Mkj.k

ifj|j ifrekg (1000 मा० बो० एवं उससे अधिक मात्रा में भंडारित केन्दू पत्ती के गोदाम के लिए) अथवा 2/- रू० प्रति मानक बोरा प्रतिमाह (1000 मा० बो० से कम भंडारित केन्दू पत्ती गोदाम के लिए) होगा। उपर्युक्त देय राशि xknke eH HkMkj.k i kjEHk gkus l s Øsrk }kjk l Hkh fd'rk dh i wkl jkf'k dj l fgr tek gkus dh vof/k rd ykxw jgsxhA एक ही भण्डारण/गोदाम परिसर में यदि एक ही क्रेता का एक से अधिक भण्डार/गोदाम हो, एक ही भण्डारण परिसर/गोदाम में कई क्रेताओं की सामग्री हो तो पर्यवेक्षण शुल्क वसूली के लिए भण्डारण के अनुरूप प्रत्येक क्रेता को अलग-अलग इकाई माना जायेगा। यदि क्रेता एक से अधिक प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के केन्दू पत्ती का भंडारण एक ही गोदाम में करता है, तो क्रेता परिदत्त पत्तियों का भंडारण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि गोदाम में प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की पत्ती गोदाम के अलग-अलग भाग में, जो कि सीमांकित एवं विभाजित होंगे, रखेगा।

vi/ उपर्युक्त पर्यवेक्षण व्यय की वसूली के लिए समय आंकने के प्रयोजन के लिए एक माह का भाग पूरा माह माना जाएगा।

vii/ गोदाम/गोदामों से पूरा केन्दू पत्ती उठाने के पहले बकाया पर्यवेक्षण व्यय यदि कोई हो तो क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा।

क्रेता को केन्दू पत्ती का बीमा अग्नि, चोरी एवं अन्य रूप से होनेवाले सम्भावित हानि के लिए अनिवार्य रूप से कराना होगा। क्रेता केन्दू पत्ती के अधिसूचित मात्रा का chek l fonk l Ei knu ds 10 fnuk ds vñj dj k yxk vkj i fj nku i kjEHk gkus l s i w संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक एवं निगम मुख्यालय को संबंधित बीमा पॉलिसी की एक-एक सत्यापित प्रतिलिपि (बीमा कम्पनी द्वारा सत्यापित) के साथ समर्पित करेगा। प्रमण्डलीय प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वे बीमा पॉलिसी की वैधता की सम्पुष्टि बीमा कम्पनी से तुरंत करा लेंगे। बीमा रहित गोदामों में पत्ती का भण्डारण/आपूर्ति नहीं किया जाएगा।

23- Øsrk dks dj , oa'kYd Hkh fuEuor tek djuk gksxk %&

(क) केन्दू पत्ती की खरीद में क्रेता को हर हालत में बिक्री कर भुगतान तत्समय लागू बिक्री कर अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप करना होगा।

(ख) समय-समय पर निर्धारित कृषि बाजार शुल्क का भुगतान भी क्रेता को करना होगा।

(ग) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार आयकर एवं अधिभार का भुगतान क्रेता को करना होगा। उपर्युक्त कर/शुल्क के अलावे ऐसे सभी बिक्री पर इस देश/राज्य के वर्तमान नियम/कानून लागू होंगे तथा क्रेता को तदनु रूप कर एवं शुल्क आदि जमा करना होगा।

24. अगर भुगतान की तिथि किसी राजपत्रित अवकाश के दिन पड़ती है तो उसके बाद वाले कार्य दिवस को भुगतान की तिथि मानी जाएगी।
25. किशतों, करों एवं शुल्कों का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जाएगा जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0," के नाम से राँची/प्रमण्डलों के मुख्यालय में अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा R.B.I से Authorised Banks में भुगतेय हो, करना होगा।
26. क्रेता के स्पष्ट अनुरोध पर किशतों के भुगतान की अवधि का विस्तार निगम द्वारा किया जा सकता है, किन्तु उसके लिए क्रेता को बकाए राशि पर चालू बैंक ब्याज दर पर किशतों के साथ भुगतान करना होगा। बैंक द्वारा ब्याज में परिवर्तन होने पर तदनु रूप ब्याज की उक्त दर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
27. वन निगम द्वारा क्रेता को गोदाम उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में यह गोदाम अगले वर्ष ds 31 ekpl dh frffk rd gh HkkMk ij fn; k tk, xkA इस तिथि तक क्रेता को गोदाम खाली कर देना होगा। यदि इस तिथि के बाद भी क्रेता की पत्ती गोदाम में रखी जाती है और गोदाम खाली नहीं किया जाता है तो 1 vi by dh frffk l s xknke HkkMk 10% c< \$ gq nj l s ol ny dh tk, xh तथा गोदाम को अतिरिक्त समय तक रखे जाने के एवज में "विलम्ब शुल्क" गोदाम में रखे गये अवशेष बोरों की संख्या के आधार पर 20.00 (बीस) रूपये प्रति मानक बोरा प्रति माह (अथवा माह का भाग) की दर से क्रेता वन निगम को भुगतान करेगा।
28. केन्दू पत्ती की आपूर्ति निगम के गोदाम/गोदामों अथवा निगम द्वारा पंजीकृत/अनुमोदित गोदाम/गोदामों/स्थानों से ही की जाएगी। किसी अपरिहार्य कारणवश अथवा परिस्थिति के अनुरूप गोदाम/स्थानों को बदलने या परिवर्तन करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा।
29. सामान्यतया केन्दू पत्ती की आपूर्ति बोरे सहित मानक बोरे के आधार पर गोदाम से ही की जाएगी। बोरों को गोदाम से उठाने, गिनती कराने तथा वाहन पर लादने का व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। आपूर्ति तालिका पर निगम एवं क्रेता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होगा।

30. Ørk }kjk dñnw i Ûks dk i fjnku i klr dj yus ds ckn dñnw i Ûkh dh xq koÙkk ds l ãk/ eã dkbz fškdk; r vFkok nkok ekl; ugha gksxkA
- 31- Ørk }kjk dñnw i Ûkh dk i fjnku Lohdkj dj yus ds i 'pkr- dñnw i Ûkh dh l a[; k eã deh ds l ãk/ eã dkbz fškdk; r vFkok nkok ou fuxe l s djus dk gdnkj ugha gksxkA
32. क्रेता को भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1989 एवं बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम 1973, बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण नियमावली 1972) Hkkj rh; ol; i k.kh l j {k.k vf/kfu; e 1972 rFkk buds rgr l e; & l e; ij cuk, x, fu; ekofy; kã ds i ko/kkukã dk ikyu djuk gksxkA
33. निगम/वन विभाग केन्दू पत्ती की जाँच पारगमन अवधि में तथा क्रेताओं के निजी गोदामों में कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
34. आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि तक यदि क्रेता आपूर्ति प्राप्त नहीं करते हैं तो इस अवधि के बाद या विस्तारित अवधि में केन्दू पत्ती की हुई क्षति की जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी।
35. क्रेता लेखा ऐसे प्रपत्रों में रखेगा तथा ऐसे दिनों को जो संविदा में उल्लेखित किए गए या समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित किए जाएँ, नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा।
36. क्रेता प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के भीतर इसके द्वारा सेवा में रखे गए व्यक्तियों/प्रतिनिधियों की सूची उनके हस्ताक्षर के नमूने सहित संग्रहण प्रारम्भ होने के पूर्व संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक को प्रस्तुत करेगा तथा वैसे सभी व्यक्ति जिनके संबंध में प्रक्षेत्र पदाधिकारी/प्रमण्डलीय प्रबन्धक द्वारा आपत्ति की जाती है, क्रेता द्वारा सेवा से पृथक कर दिए जाएँगे।
37. क्रेता निगम की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसे अनुबंधों का हस्तांतरण संबंधित महाप्रबन्धक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में संविदा हस्तांतरित किया जाना है वह "स्वीकृत शुद्ध एक मुश्त राशि" की 8 %vkB½ i frškr gLrkrj.k 'kq/d ds : i eã अग्रिम में अदा करें एवं यह कि संग्रहण का कार्य प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में हस्तांतरण होने तक प्रारम्भ न हुआ हो। परन्तु केन्दू पत्ती के संग्रहण/भण्डारण के बाद विशेष परिस्थिति में संविदा हस्तांतरित करने का अधिकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

¼p½ I fonk ¼Ork dk djkj ukek½ dk foLrkj %

38. संविदा विस्तार के लिए क्रेता संविदा समाप्त होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर 100 (सौ) रूपया के बैंक ड्राफ्ट के साथ सादे कागज पर विलम्ब के कारणों को दर्शाते हुए प्रमण्डलीय प्रबंधक को आवेदन समर्पित करेंगे। संविदा विस्तार अवधि के संबंध में निर्णय निगम मुख्यालय द्वारा लिया जायेगा।

यदि करारनामा समाप्ति के उपरान्त एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्रवाई के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा निगम को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, अर्थदण्ड, निरीक्षण व्यय, कर एवं उपकर आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो निगम अपने स्वविवेक से उक्त करार को रूपये 5000/- अथवा बकाया कुल राशि का 5 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) का शुल्क लेकर पुनर्जीवित कर सकेगा तथा केन्दू पत्ता का अपरिदत्त स्टॉक अथवा गोदाम में रखा समानुपातिक स्टॉक उसे परिदत्त कर दिया जायेगा।

¼N½ √U; kU; %

39. संबंधित पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच संविदा/करारनामा के या उसके किसी भाग की रचना, अर्थ या प्रभाव से उत्पन्न प्रत्येक विवाद, अंतर या प्रश्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को या उनके द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी को एक मात्र विवाचन के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा जो दोनों पक्षों द्वारा अपने मामले रखने तथा उसे सुनने के बाद यथोचित निर्णय देंगे। उनका निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

40. उपर्युक्त बिक्री से संबंधित विवाद का निपटारा राँची के सक्षम न्यायालय के प्राधिकार क्षेत्र में ही होगा। कोई भी मामला राँची से बाहर के न्यायालय में दाखिल नहीं किया जाएगा।

41. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने अथवा निविदा देने से ही यह विदित होगा कि उन्हें निगम द्वारा निर्धारित बिक्री एवं संविदा के सभी शर्त एवं बंधेज बिना किसी शर्त के मान्य हैं।

42. निगम के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में उचित नियंत्रण हेतु दिए जानेवाले निर्देशों का पालन क्रेता को अनिवार्य रूप से करना होगा।

43. (i) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में वन्य प्राणी आश्रयणियों एवं राष्ट्रीय उद्यानों से केन्दू पत्ती एवं अन्य लघु वन पदार्थों का संग्रहण वर्जित है। क्रेता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि वन्य प्राणी उद्यानों/आश्रयणियों की परिधि में संग्रहण संबंधी किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करेंगे/रखेंगे। इसे उल्लंघन करने/करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति संबंधित नियमों/आदेशों के अन्तर्गत जवाबदेह होंगे।

(ii) केन्दू पत्ती की बिक्री हेतु प्रकाशित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की सूची से वन्य प्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र में पड़ने वाले केन्दू पत्ती यूनिटों को हटा दिया गया है। यदि भविष्य/कालान्तर में संविदा सम्पादित करने के पश्चात् पाया जाता है कि कोई केन्दू पत्ती इकाई/क्षेत्र वन्य प्राणी आश्रयणी/राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पड़ता है तो इस इकाई/क्षेत्र, के अधिसूचित केन्दू पत्ती की मात्रा को अनुपातिक रूप से विलोपित कर दिया जाएगा और बिक्रीत केन्दू पत्ती की राशि का उसी अनुरूप में पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित तिथि, समय एवं स्थान पर वर्ष 2017 एवं पूर्व वर्षों के संविदा निरूपित/राजसात/जप्त अबतक अबिक्रीत एवं भण्डारित केन्दू पत्ती की बिक्री ई-निविदा द्वारा की जायेगी। बिक्री के लिए आमंत्रित निविदा में अर्पण "शुद्ध एकमुश्त राशि" "जैसा है जहाँ है" के आधार पर दिया जायेगा।

2 ¼[k½ fcØh dh 'kUkā , oa cākst

¼d½ l keku;

1. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने से ही यह माना जायेगा कि उन्हें झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, जिसे अब निगम से सम्बोधित किया जायेगा, द्वारा निर्धारित बिक्री एवं संविदा की सभी शर्तें बिना किसी शर्त के मान्य है। निगम को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि निविदा के पूर्व बिक्री अथवा संविदा की किसी भी शर्त को जोड़ घटाव अथवा संशोधित करें। निविदा एवं बिक्री के सभी शर्त एवं बंधेज क्रेता के साथ की जानेवाली संविदा के भाग होंगे।
- 2 (क) प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु निविदा शुल्क रू0 5000/- (पाँच हजार) एवं इस पर देय GST 18 प्रतिशत अर्थात् रू0 900/- (नौ सौ) कुल रू0 5900/- मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0" के नाम देय हो, जमा करना होगा तभी वह निविदा में भाग लेने हेतु अनुमान्य होगा।
- 2 (ख) केन्दू पत्ती की बिक्री में केवल झारखंड राज्य वन विकास निगम में निबंधित व्यक्ति/फार्म/कम्पनी ही भाग ले सकते हैं।
अनिबंधित व्यक्ति/फार्म/कम्पनी का निविदा में दिया गया अर्पण को स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
निबंधन, झारखंड राज्य वन विकास निगम द्वारा पूर्व में अधिसूचित प्रावधानों के अनुरूप होगा।
3. वैसे क्रेता जिन्हें निगम द्वारा कृष्णचिन्हित या दोषी घोषित किया गया हो/या वे नाबालिक हों या जिन्हें पागल घोषित किया गया हो/उनके द्वारा दिया गया अर्पण को अमान्य समझा जायेगा।
4. सभी क्रेता वन निगम के किसी भी पत्राचार को प्राप्त करने के उत्तरदायी होंगे। सभी क्रेताओं को अपने-अपने पत्राचार का सही पता वन निगम को देना होगा। जिसपर सभी पत्राचार, प्रेषण प्रमाण पत्र द्वारा भेजा जा सके। यदि किसी भी प्रकार का पत्राचार क्रेता द्वारा दिया गया पता पर भेजने पर उन्हें प्राप्त नहीं होता है अथवा लौट जाता है, तो उसके लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा। क्रेता द्वारा दिये गये पते के गलत होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायगा तथा क्रेता को कृष्णचिन्हित भी किया जा सकता है।
5. i. चूँकि संबंधित केन्दू पत्ती की बिक्री "जैसा है जहाँ है" के आधार पर की जा रही है, अतः इच्छुक निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा में दर/अर्पण देने के पूर्व संबंधित केन्दू पत्ती का निरीक्षण अवश्य कर लें एवं उसपर देय किसी अन्य देयता की

जानकारी भी प्राप्त कर लें। केन्दू पत्ती की मात्रा, गुणवत्ता एवं देय बकाए के संबंध में बाद में क्रेता द्वारा की जानेवाली आपत्ति/शिकायत/दावा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

साथ ही इच्छुक निविदाकार संबंधित केन्दू पत्ती के गोदाम मालिक एवं प्रमंडलीय प्रबंधक से सम्पर्क कर बकाये गोदाम भाड़े एवं संविदा के पश्चात् देय गोदाम भाड़े के दर के संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त कर ही निवदा डालें। बकाए गोदाम भाड़े एवं संविदा के पश्चात् देय गोदाम भाड़े की वहन क्रेता द्वारा किया जायेगा एवं भाड़े का भुगतान क्रेता को ही गोदाम मालिक को करना होगा। संविदा के पूर्व के बकाए गोदाम भाड़े का भुगतान क्रेता, गोदाम मालिक को प्रथम किश्त का आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के पूर्व अवश्य कर देंगे, अन्यथा प्रमंडलीय प्रबंधक द्वारा उन्हें आपूर्ति आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा। संविदा के पश्चात् गोदाम भाड़े का भुगतान आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रत्येक किश्त की राशि के साथ निर्धारित तिथि तक क्रेता को करना होगा। निगम अथवा निगम द्वारा भाड़े पर लिए गए गोदामों के बकाए गोदाम भाड़े अथवा देय गोदाम भाड़े का भुगतान क्रेता सीधे प्रमंडलीय प्रबंधक को उपरोक्त विधि से करेगा। बकाए गोदाम भाड़े का भुगतान संबंधित क्रेता द्वारा नहीं किए जाने के कारण, यदि केन्दू पत्ती की आपूर्ति में कोई बाधा या कठिनाई होती है, तो इसकी सारी जवाबदेही क्रेता की होगी।

ii. वन निगम के नियंत्रणाधीन गोदाम एवं अन्य गोदामों में भंडारित बोरों में बन्द केन्दू पत्ती की दर शुद्ध एकमुश्त राशि के हिसाब (कर एवं शुल्क अतिरिक्त) से क्रेताओं को निविदा में अर्पण देनी होगी।

6 i. निविदादाता अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के बन्धेजों तथा बिक्री शर्तों पर तबतक बाध्य होगा, जबतक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत करने के आदेश नहीं दे दिये जाते हैं।

ii. निविदा में दरों के अर्पण में कोई कर या शुल्क सम्मिलित नहीं होगा।

iii. वन निगम मुख्यालय/अंचलीय/प्रमंडलीय कार्यालयों से बिक्री की स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राप्त करना निविदादाता की जिम्मेवारी होगी। बिक्री की स्वीकृति के 10 (दस) दिनों के अंदर निविदादाता द्वारा संविदा हेतु पूरी प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने पर बिक्री रद्द समझी जायेगा तथा सत्यंकर राशि जप्त कर ली जायेगी। इसके लिए क्रेता का कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा।

iv. वन निगम को भुगतान की जानेवाली किसी भी राशि की वसूली पब्लिक डिमाण्ड के रूप में बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत की जायेगी।

7 निविदा में अर्पित किये गये अर्पण के आधार पर क्रेता को कुल क्रय मूल्य के अनुसार निम्नांकित तालिका अनुसार सत्यंकर राशि/आंशिक प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी आवश्यक होगी। सत्यंकर राशि/आंशिक प्रतिभूति राशि केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा, जो

झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, राँची में देय हो, जमा करनी होगी। निविदा के साथ अपर्याप्त सत्यंकर राशि रहने पर निविदा अमान्य हो सकती है। सत्यंकर राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

क्रमांक	अर्पित दर के अनुसार प्रचय का कुल मूल्य	वांछित देय सत्यंकर राशि (रूपये में)
1	एक लाख रूपये तक	10,000.00
2	एक लाख से अधिक 5 लाख तक	25,000.00
3	पाँच लाख से अधिक 10 लाख तक	75,000.00
4	दस लाख से अधिक 20 लाख तक	1,50,000.00

8. यदि कोई निविदाकार अपने निविदा में एक ही लौट के लिए एक से अधिक दर प्रस्तुत करते हैं या एक से अधिक निविदा देते हैं तो उनके द्वारा उस लौट के लिए दी गई उच्चतम दर पर ही विचार किया जायेगा।
9. यदि किसी विशिष्ट लौट के लिए एक ही दर का अर्पण एक से अधिक निविदाकारों द्वारा दिया जाता है तो इस संबंध में निगम द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया संबंधित क्रेताओं को मान्य होगी।
10. निगम द्वारा बिक्री की स्वीकृति जारी किये जाने पर क्रेता एवं निगम के बीच संबंधित लौट/जप्त केन्दू पत्ती के संबंध में संविदा अस्तित्व में आ गयी मानी जायेगी तथा निविदाकार लौट का क्रेता माना जायेगा। असफल निविदाकार सत्यंकर राशि लौट की बिक्री की स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने के बाद लौटा दी जायेगी।।
11. "निगम" को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि :-
 - (क) किसी भी अर्पण को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करें।
 - (ख) किसी भी लौट को अपने विचार से खंडित कर दें अथवा एक से अधिक लौट मिला कर बिक्री करें।
 - (ग) किसी भी लौट को बिना पूर्व सूचना के बिक्री से वापस ले लें।

¼ [½ प्रतिभूमि राशि तथा संविदा पर हस्ताक्षर

12. i. निगम द्वारा बिक्री की स्वीकृति निर्गत होने की तिथि के 10 दिनों के अन्दर क्रेता को कुल विक्रय मूल्य (कर एवं फी छोड़कर) का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कर निगम द्वारा आपूर्ति किये गये न्यायोकेतर मुद्रांक (नन जूडिसियल स्टाम्प) पर हस्ताक्षर कर संबंधित प्रमण्डलीय प्रबंधक के कार्यालय में संविदा सम्पादित करनी होगी। इस राशि में पूर्व में जमा की गयी सत्यंकर राशि/आंशिक प्रतिभूति राशि को समायोजित किया जायेगा। यह राशि क्रेता को बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी जो

“झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०” के नाम राँची स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पर देय हो।

- ii. निगम की ओर से निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी सहित पदोत्तराधिकारी, प्रतिनिधि अभिहस्तांकित संविदा पर हस्ताक्षर करेंगे। क्रेता द्वारा उक्त वांछित राशि निर्धारित अवधि में जमा कर संविदा सम्पादित नहीं किये जाने पर संबंधित लौट के विरुद्ध जमा की गयी सत्यंकर राशि/आंशिक प्रतिभूति राशि को जप्त किया जा सकेगा तथा क्रेता को कृष्णाचिह्नित किया जा सकेगा। इस लौट की पुनः बिक्री करने पर यदि निगम को कोई घाटा होता है तो उस राशि को बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत क्रेता से वसूल किया जायेगी।
13. क्रेता का कार्य संतोषजनक होने पर प्रतिभूति राशि का समायोजन अंतिम किश्त में किया जा सकता है।
14. संविदा हस्तांतरणीय नहीं है, फिर भी विशेष मामलों में विक्रय मूल्य का 8% हस्तांतरण शुल्क क्रेता से प्राप्त कर ऐसे हस्तांतरण की स्वीकृति देने का अधिकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि० को सुरक्षित रहेगा।

¼X½ क्रय मूल्य का भुगतान एवं केन्दू पत्ती की आपूर्ति।

15. क्रेताओं को केन्दू पत्ती के मूल्य का भुगतान सभी करों एवं शुल्क के साथ अधिकतम दो समान किश्तों में करना होगा (यथा क्रमशः 50%, 50%) और उसी अनुपात में निगम से आपूर्ति आदेश दिया जायेगा।

केन्दू पत्ती के बिक्री के मामले में सफलीभूत क्रेता के साथ सम्पन्न की गयी संविदा के अनुसार क्रेता को प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त क्रमशः संविदा सम्पादन के तिथि से 15 दिनों/30 दिनों के अन्दर जमा कर देनी होगी। प्रत्येक किश्त के विरुद्ध केन्दू पत्ती की आपूर्ति संबंधित किश्त जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर ले लेनी होगी। संविदा की वैधता संविदा सम्पादन की तिथि से 75 दिनों तक रहेगी।

16. क्रेता को संविदा में वर्णित किश्तों की राशि के साथ-साथ कर एवं शुल्क भी निम्नवत् जमा करना होगा :-

(क) बिक्री कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित बिक्री कर का भुगतान क्रेता को करना होगा।

(ख) समय-समय पर निर्धारित कृषि बाजार शुल्क का भुगतान भी क्रेता को करना होगा।

(ग) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार आयकर एवं अधिभार का भुगतान क्रेता को करना होगा।

उपर्युक्त के अलावे ऐसे सभी बिक्री पर इस देश/राज्य के वर्तमान नियम/कानून लागू होंगे, क्रेता को तदनुरूप कर एवं शुल्क की राशि जमा करना होगा।

17. अगर भुगतान की तिथि किसी राजपत्रित अवकाश के दिन पड़ती है तो उसके बाद वाले कार्य दिवसर को भुगतान की तिथि माना जायेगा।
18. किशतों, करों एवं शुल्कों का भुगतान को बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०" के नाम राँची स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय होगा।
19. क्रेता के स्पष्ट अनुरोध पर किशतों की भुगतान की अवधि का विस्तार निगम द्वारा किया जा सकता है, किन्तु उसके लिए क्रेता को बकाये राशि पर चालू बैंक दर पर ब्याज का किशतों के साथ भुगतान करना होगा। बैंक द्वारा ब्याज में परिवर्तन होने पर तदनुरूप ब्याज की उक्त दर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
20. संविदा में प्रत्येक किशत के केन्दू पत्ती की आपूर्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक क्रेता को गोदाम/गोदामों से संबंधित किशत की केन्दू पत्ती की मात्रा आपूर्ति प्राप्त कर लेनी होगी।
21. निगम द्वारा अधिसूचित स्थानों से ही केन्दू पत्ती की आपूर्ति की जायेगी। किसी अपरिहार्य कारणवश गोदाम/स्थान को बदलने या परिवर्तन करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा।
22. केन्दू पत्ती की आपूर्ति बोरे सहित मानक बोरा के आधार पर गोदाम से ही की जायेगी। बोरो को गोदाम से उठाने गिनती कराने तथा वाहन पर लादने का व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा। आपूर्ति तालिका पर निगम एवं क्रेता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होगा। क्रेता द्वारा क्रय किये गये लौट में संविदा में दर्शायी गयी मात्रा से अधिक पत्ती होने पर क्रेता को संविदा में दर्शाई गयी शर्तें एवं बंधेज पर उसे भी स्वीकार करना होगा।
23. क्रेता द्वारा पत्तों की आपूर्ति प्राप्त करने के बाद जिस गोदाम में पत्तों का भंडारण करना चाहेंगे इसे निबंधित कराना अनिवार्य होगा।
24. यदि अपरिहार्य कारणवश निगम द्वारा क्रेता को संविदा में दर्शायी गयी केन्दू पत्ती आपूर्ति नहीं की जा सकी, तो क्रेता द्वारा जमा की गयी राशि में से अनापूर्तित केन्दू पत्ती का विक्रय मूल्य वापस कर दिया जायेगा। इससे यदि क्रेता को आर्थिक क्षति होती है तो उसका दावा निगम पर नहीं होगा।
25. क्रेता को भारतीय वन अधिनियम, 1927, भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1989 एवं बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 तथा इनके तहत समय-समय पर बनाये गये नियमावलीयों के प्रावधानों का पालन करना होगा।
26. निगम/वन विभाग केन्दू पत्ती की जाँच परगमन अवधि में तथा क्रेताओं के निजी गोदामों में कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
27. आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि तक यदि क्रेता आपूर्ति प्राप्त नहीं करते हैं, तो इस अवधि के बाद या विस्तारित अवधि में केन्दू पत्ती की हुई क्षति की जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी।

¼?k½ I fonk foLrkjA

28. क्रेता के अनुरोध पर समय-वृद्धि-शुल्क, जो संविदा की वैधता के समाप्त होने की तिथि या बाद के दिनों तक के बकाये राशि का 5 प्रतिशत होगी, देने के पश्चात् संविदा का विस्तार निगम द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए क्रेता को संविदा समाप्त होने की तिथि 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर 100/- (एक सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पर झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के पक्ष में देय हो, विलम्ब के कारणों के साथ, संबंधित प्रमण्डलीय प्रबंधक को सादे कागज पर आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। संविदा विस्तार की अवधि के बारे में निर्णय संबंधित महाप्रबंधक द्वारा लिया जाएगा।

√U; kU; A

29. संबंधित पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच संविदा के या उसके किसी भी रचना, अर्थ या प्रभाव से उत्पन्न प्रत्येक विवाद, अंतर या प्रश्न प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, झारखण्ड को या उनके द्वारा मनोनित किसी पदाधिकारी को विवाचन के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा। जो दोनों पक्षों द्वारा अपने मामले रखने तथा उसे सुनने के बाद यथोचित निर्णय देंगे। उनका निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
30. उपरोक्त बिक्री से संबंधित विवाद का निपटारा झारखण्ड के सक्षम न्यायालय के प्राधिकार क्षेत्र में ही होगा। कोई भी मामला झारखण्ड से बाहर के न्यायालय में दाखिल नहीं किया जायेगा।

3 ¼d½ l fonk dk ik: i

¼Øsrk dk djkj ukek½

¼' kq) , d eq r jkf' k ds vk/kkj ij , d o"khz fcØh ds fy, ½

यह करार आज दिनांक सन् को प्रथम पक्ष झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, जो इंडियन कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत निबंधित एक कम्पनी है और झारखण्ड राज्य में जिसका पंजीकृत कार्यालय, राँची में अवस्थित है तथा जिसे इसके पश्चात् "fuxe" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति, (Expression) में जहाँ संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, इसके पदोत्तराधिकारी सहित प्राधिकृत पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे तथा द्वितीय पक्ष श्री/सर्वश्री (पूरा पता) जिन्हें इसके पश्चात् "Øsrk" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति (Expression) में जहाँ संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो इसके उत्तराधिकारी निष्पादक एवं अभिहस्तांकिति सम्मिलित होंगे, के बीच किया जाता है। चूँकि निगम को झारखण्ड सरकार के द्वारा सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में केन्दू पत्ती संग्रहण एवं विपणन हेतु प्राधिकृत किया गया है और चूँकि निगम ने इसमें इसके पश्चात् दिये हुए निबंधनों तथा शर्तों पर क्रेता द्वारा दी गई दिनांक की निविदा को प्रतिग्रहित कर लिया है और उसे लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमण्डल के लघु वन पदार्थ परियोजना प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की इकाई संख्या इकाई का नाम जो वन विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ०-1 दिनांक 02.10.1974 तथा एस० ओ० 1139 दिनांक 17.12.1980 द्वारा अधिसूचित है, की वर्ष मौसम में निगम द्वारा संगृहीत केन्दू पत्तों के क्रय हेतु क्रेता के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हो गया है। अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं।

1. लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमण्डलके लघु वन पदार्थ परियोजना प्रक्षेत्रके अन्तर्गत प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के इकाई संख्या क्रमशः इकाई का नामजिसे प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की सूची में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है (जो इसमें इसके आगे प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट है) में, वर्ष मौसम में निगम द्वारा सरकारी वन भूमि एवं निजी भूमि में संगृहीत केन्दू पत्तों का क्रय क्रेता करेगा। क्रेता संग्रहण काल के दौरान प्रक्षेत्र में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर संगृहीत हरे केन्दू पत्तों को प्रमण्डलीय प्रबन्धक के निर्देशों के

अनुसार परिदान लेगा। क्रेता को, इस प्रकार प्रक्षेत्र में अधिसूचित मात्रामा० ब० तक संगृहीत किये गये केन्दू पत्तों के प्रदाय के लिए निगम को "शुद्ध एक मुश्त राशि" का निम्नवत् भुगतान देना होगा एवं इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अधिसूचित दर अनुसार संग्रहण व्यय (जिस हद तक लागू हो) निगम को देना होगा।

मौसम (वर्ष)	शुद्ध एक मुश्त राशि (रु० अंको में)	(रु० शब्दों में)

^शुक्ल) , d एर jkf'k^ , oa l xg.k 0; ; %ftl gn rd ykx|| gk½ dk ; kx i knf'kd i {ks=@vā k i knf'kd i {ks= dk Ø; eW; ekuk tk; sx vkj Ø; eW; ds Åij l eLr ns dj Hkh Ørk dks fcØh dh 'kr] c/kst , oa l fonk ds i ko/kkuk ds vuq kj vnk djuk gkxkA

यदि क्रेता को संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र से उसकी अधिसूचित मात्रा से अधिक केन्दू पत्ती का परिदान वन निगम द्वारा दिया जायेगा (जिसे क्रेता अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा) तो क्रेता को उस "अतिरिक्त मात्रा" के लिए नियमानुसार "अतिरिक्त राशि" निगम को, सभी कर एवं शुल्क के साथ देनी होगी। केन्दू पत्ती की इस "अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा" के लिए संग्रहण व्यय (जिस हद तक लागू हो) भी क्रेता, सभी कर एवं फी सहित, निगम को देगा।

^vfrfjDr jkf'k^ dh x.kuk fuEuor dh tk; xh^ %&

fufonk e vfi r ^शुक्ल) , d एर jkf'k^ = ^d^ : i ; s i fr ekud ckjk %x.kuk }kj k l cf/kr i knf'kd i {ks=@vā k i knf'kd , d एर jkf'k ds vk/kkj ij i klr nj i {ks= ds fy, vf/kl fpr ek=k i frekud ckjk ds fy, ½

^vfrfjDr jkf'k^ i fr ekud ckjk %d@2½ : i ; s gkxh जिसका सभी कर एवं शुल्क सहित भुगतान क्रेता को करना होगा।

- संग्रहीत समस्त केन्दू पत्ते का परिदान क्रेता को लेना होगा। यदि क्रेता परिदान नहीं लेता है तो प्रमडलीय प्रबन्धक ऐसे पत्तों को बेच सकेगा और हानि की राशि क्रेता से वसूल की जायगी। यदि संग्रहण के दौरान केन्दू पत्ते के गुणवत्ता के संबंध में कोई विवाद उठता है तो संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक विवाद का निराकरण करेंगे, जो अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

; fn l cf/kr bdkb@i knf'kd i {ks=@ vā k i knf'kd i {ks= e l uph e n' kk; h xbl vupkfur l xg.k dh ek=k l s de ek=k e dUn i Ükh dk l xg.k

gksrk gS vFkok fdl h vui f{kr dkj .kka l s l xg.k ugha gksrk gS rks Hkh Øsrk ml bdkbZ@i knf' kd i {ks=@vdk i knf' kd i {ks= ds fy, vi us }kjk vfi r ^ kq) , d eq r jkf' k^ dk Hkpxrku fuxe dks djsxkA {ks= ea l xg.k de gksus ; k l xg.k ugha gksus dh fLFkfr ea Øsrk fuxe ij {kfr dk dkbZ nkok ugha djsxkA

निगम क्रेता द्वारा क्रय किये गये संबंधित इकाई/प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र जिसके लिए संविदा सम्पादित की गई है, में केन्दू पत्ती के संग्रहण वास्ते हर सम्भव प्रयास करेगा। परन्तु निगम पर किसी अनपेक्षित कारणों से संबंधित इकाई/इकाईयों/प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में संग्रहण नहीं हो पाने अथवा विक्रय सूची में दर्शायी गई अधिसूचित संग्रहण की मात्रा से कम मात्रा में केन्दू पत्ती का संग्रहण होने की जवाबदेही नहीं होगी। किसी भी स्थिति में क्रेता केन्दू पत्ती की संबंधित इकाई/इकाईयों/प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में अपेक्षाकृत कम मात्रा में संग्रहण होने अथवा संग्रहण नहीं होने के लिए निगम पर क्षतिपूर्ति को कोई दावा नहीं करेगा। ijUrq l cf/kr bdkbZ@i knf' kd i {ks=@vdk i knf' kd i {ks= ea dUn i Ukh dh l xghr l Ei kZ ek=k dk i fjnku yus ds fy, Øsrk ck/; gksxkA

3. Øsrk djkj uke dh vof/k %&

यह करार से प्रारम्भ होगा और दिनांक तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही समाप्त न कर दिया जाय।

4. djkj uke ds Hkkx %&

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायेगा कि यह बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम 1973 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के तथा साथ ही निगम के विज्ञापन सख्या..... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों एवं बंधेज के, जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अधधीन हैं।

5. (i) क्रेता द्वारा केन्दू पत्ती की कस्ती के लिए व्यवहार किये जानेवाले बोरों पर निगम द्वारा निर्धारित नमूने के अनुसार पहचान की छपायी करायी जायेगी।
- (ii) क्रेता द्वारा संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक से क्रमांक प्राप्त कर इसे ऐसे प्रत्येक बोरे

पर स्टेनसिल से अंकित कराया जायेगा। क्रेता केन्दू पत्ती की कस्ती एवं भण्डारण के लिए ऐसे क्रमांकित बोरे का ही व्यवहार करेंगे।

6. I xg.k , oa I xg.k 0; ; ds Hkpxrku dh i fØ; k %&

क्रेता एतद् द्वारा निगम के साथ नियमानुसार अभिव्यक्ति रूपेण करार करता है कि:-

(क) (i) क्रेता सरकारी वनों तथा भूमि से संग्रहण केन्द्रों पर संगृहीत किये गये सभी हरे पत्ते का परिदान 48 घण्टे में लेगा। संग्रहण प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पूर्व क्रेता द्वारा सम्बन्धित प्रमंडलीय प्रबंधक के बैंक खाता में क्रय किये गये प्रचय के अधिसूचित मात्रा के 50 प्रतिशत के संग्रहण मूल्य की राशि जमा की जायेगी। संग्रहण प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के बाद प्रमंडलीय प्रबंधक के आकलन अनुसार अवशेष संग्रहण मूल्य क्रेता द्वारा प्रमंडलीय प्रबंधक के कार्यालय में दो दिनों के अन्दर जमा किया जायेगा। भुगतान की गई रकम क्रेता के द्वारा दिये जाने वाले क्रय मूल्य का आंशिक भुगतान माना जायेगा और इस चुकाई गई रकम (संग्रहण व्यय, जिस हद तक लागू हो) पर देय सभी कर एवं शुल्क क्रेता को संबंधित प्रमण्डलीय कार्यालय में साथ-साथ जमा कर देना होगा।

(ii) यदि प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की अधिसूचित मात्रा से अधिक केन्दू पत्ती का संग्रहण एवं परिदान होगा तो केन्दू पत्ती की इस "अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा" के लिए भी संग्रहण व्यय (जिस हद तक लागू हो) क्रेता सभी कर एवं शुल्क सहित निगम को देगा।

ukV %& Ørk fuxe }kjk ml dks nh tkuskyh i fr ekud i ky/k ftl ea chMh
cukus ; kx; 50 dJn i Ûks gkxj ea 5 i Ûks de ; k vf/kd ds l x/k ea dkbz
vki fÛk ugha mBk; xkA

(ख) उपर्युक्त कंडिका (क) में वर्णित प्रयोजन के लिए क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र में एक प्रतिनिधि रखना होगा। प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में पत्तों का संग्रहण प्रारम्भ होने के पूर्व प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के नमूने (नाम एवं पूरा पता सहित), संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक एवं प्रक्षेत्र पदाधिकारी को प्रेषित किए जाएँगे। I xg.k dJnz i Hkkjh
dks i kfj Jfed Ørk }kjk i æMyh; i x/kd ds ek/; e l s fn; k tk; xkA

(ग) यदि क्रेता संग्रहण व्यय (जिस हद तक लागू हो) का भुगतान नहीं करता है तथा संग्रहण की तिथि से 48 घण्टे के भीतर पत्तों का परिदान नहीं लेता है, तब प्रमण्डलीय प्रबन्धक, ऐसे पत्तों की समस्त या आंशिक मात्रा का अपने स्वविवेक से :-

1/2 क्रेता को परिदान अस्वीकृत,

1/2 किसी भी अन्य व्यक्ति को परिदान,

1/iii½ क्रेता को ही उससे निगरानी खर्च के रूप में रू0 10.00 प्रति मानक बोरा अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने के पश्चात और/अथवा

1/iv½ उल्लंघन के लिए करारनामों में उपबंधित कोई भी कार्रवाई कर सकता है।

1/v½ यदि यथास्थिति "निगम" या इसके पदाधिकारी/कर्मचारी ऐसे पत्तों की जिनका क्रेता यथासमय परिदान नहीं लेता, सुखाई तथा बोरों में भराई आदि का कार्य करते हैं, तो निगम द्वारा निर्धारित सुखाई, बोरों की कीमत सहित भराई आदि के खर्च को क्रेता भुगतान करेगा तथा निगम का निर्णय इस संबंध में अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

1/vi½ क्रेता हरे पत्तों का परिदान लेने के उपरान्त उनका समस्त उपचार, बोरों में भराई, केन्दू पत्ती परिवहन एवं गोदामीकरण आदि का कार्य स्वयं करेगा और इन कार्यों पर आनेवाला खर्च वही वहन करेगा।

7 1/d½ i fj nÜk i Ükka dh fudkl h , oa Ørk ds }kj k 'ks'k ns jkf' k dk Hkpxrku%&

(i) सभी मामलों में क्रेता को परिदान लेकर केन्दू पत्ते को आवश्यक उपचार के पश्चात् परिवहन कर वन निगम द्वारा पंजीकृत/अनुमोदित भण्डार में रखना होगा। केन्दू पत्ती का भण्डारण अधिक से अधिक प्रत्येक वर्ष fnukad 31 tykbl rd समाप्त कर लिया जायेगा। सम्पूर्ण भण्डारण समाप्त होने के पूर्व ही यदि क्रेता "शुद्ध एक मुश्त राशि" एवं अन्य देय राशि का सभी कर शुल्क सहित भुगतान एक किश्त में ही वन निगम को कर देता है, तो देय राशि (अन्य सभी बकाया के साथ) के भुगतान के पश्चात् उसे संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की अधिसूचित मात्रा तक की केन्दू पत्ती की आपूर्ति भण्डार से प्राप्त करने की छूट रहेगी। इस देय सम्पूर्ण राशि में निगम को इस करारनामों के अन्तर्गत देय "शुद्ध एक मुश्त राशि" एवं "संग्रहण व्यय" (जिस हद तक लागू हो) तथा इनके योग के ऊपर देय समस्त कर एवं शुल्क भी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार परिवहन की अनुमति केवल उस स्थिति में दी जायेगी जब क्रेता ने उपर्युक्त सम्पूर्ण देय राशि का भुगतान निगम को कर दिया हो। यह भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0" के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं R.B.I से Authorised Banks पर राँची में भुगतेय हो, प्रमण्डल मुख्यालय में करना होगा।

(ii) प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में केन्दू पत्ती के "अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा" की आपूर्ति संग्रहण मौसम/भण्डारण समाप्त होने के बाद ही क्रेता को की

जायेगी जिसके लिये क्रेता द्वारा ("अतिरिक्त राशि") एवं संग्रहण व्यय (जिस हद तक लागू हो) का सभी कर एवं शुल्क सहित भुगतान वन निगम को किया जायेगा।

प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक परिदत्त केन्दू पत्ती के प्रत्येक मानक बोरा के लिए क्रेता को (क/2) रूपये प्रति मानक बोरा (शुद्ध एक मुश्त राशि के आधार पर अधिसूचित मात्रा तक की केन्दू पत्ती के प्रति मानक बोरे दर का 50 प्रतिशत) (संविदा की कंडिका (1) की गणना दृष्टव्य) की दर से "अतिरिक्त राशि" सभी कर एवं शुल्क समेत, वन निगम को देनी होगी और इसके विरुद्ध केन्दू पत्ती की "अतिरिक्त संग्रहण की मात्रा" की आपूर्ति भण्डार से क्रेता को की जायेगी।

(ख)(i) क्रेता को परिदत्त केन्दू पत्ते सामान्यतः संबंधित प्रमण्डल के भीतर वन निगम द्वारा पंजीकृत/अनुमोदित गोदाम/गोदामों में दोहरे ताले में रखे जाएँगे। गोदाम/गोदामों में वन निगम का एक ताला एवं क्रेता का एक ताला अनिवार्य रूप से लगा रहेगा।

(ii) "शुद्ध एक मुश्त राशि" तथा "अतिरिक्त राशि" का भुगतान निम्नांकित तिथियों तक चार बराबर किश्तों में संबंधित प्रमण्डलीय कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के पक्ष में राँची में भुगतेय हो, करना होगा। क्रय मूल्य पर देय कर एवं फी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो "झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०" के पक्ष में संबंधित प्रमण्डल के मुख्यालय स्थान पर भुगतेय हो करना होगा।

fd' rka dk foaj .k	jkf'k tek djus dh vfre frffk	vki frl i klr djus dh vfre frffk
प्रथम	16 अगस्त 2018	15 सितम्बर 2018
द्वितीय	16 अक्टूबर 2018	15 नवम्बर 2018
तृतीय	16 दिसम्बर 2018	15 जनवरी 2019
चतुर्थ	16 फरवरी 2019	15 मार्च 2019

देय तिथियों पर जैसे ही क्रेता एक किश्त का भुगतान करता है, वैसे ही उस गोदाम से एक चौथाई केन्दू पत्ता ले जाने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। किश्तों का या अन्य किसी देय राशि का भुगतान न करने पर समय-समय पर संशोधित

बैंक ब्याज की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जायेगा। किश्तवार भुगतान के मामले में केन्दू पत्ती की आपूर्ति अन्तिम भण्डारण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

- (iii) (क) उस समय तक, जबतक गोदाम में रखे गये केन्दू पत्ती के विरुद्ध सम्पूर्ण रकम जमा नहीं हो जाती है और क्रेता सम्पूर्ण पत्ती की आपूर्ति प्राप्त नहीं कर लेता है, प्रत्येक गोदाम पर नियंत्रण के लिए क्रेता पर्यवेक्षण व्यय की राशि हर माह अग्रिम रूप में संबंधित प्रमण्डलीय कार्यालय में जमा करेगा, जो 2000/- (दो हजार) रुपये मात्र प्रति भण्डारण परिसर प्रतिमाह (1000 मा0 बो0 एवं उससे अधिक मात्रा में भंडारित केन्दू पत्ती के गोदाम के लिए) अथवा 2/-रु0 प्रति मानक बोरा प्रतिमाह (1000 मा0 बो0 से कम भंडारित केन्दू पत्ती गोदाम के लिए) होगा। उपर्युक्त देय राशि xknke es Hk. Mkj . k i kj EHK gkus l s Øsrk }kj k l Hkh fd' rks dh i w kl jkf' k dj l fgr tek gkus dh vof/k rd ykxw jgxxhA एक ही भण्डारण/गोदाम परिसर में यदि एक ही क्रेता का एक से अधिक भण्डार/गोदाम हो, एक ही भण्डारण परिसर/गोदाम में कई क्रेताओं के सामग्री हो तो पर्यवेक्षण शुल्क वसूली के लिए भण्डारण के अनुरूप प्रत्येक क्रेता को अलग-अलग इकाई माना जायेगा।
- (ख) उपर्युक्त पर्यवेक्षण व्यय की वसूली के लिए समय आंकने के प्रयोजन के लिए एक माह का भाग पूरा माह माना जायेगा।
- (ग) गोदाम/गोदामों से पूरा पत्ता उठाने के पहले बकाया पर्यवेक्षण व्यय, यदि कोई हो तो क्रेता द्वारा अदा किया जायेगा।
- (घ) वन निगम द्वारा क्रेता को गोदाम उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में यह गोदाम अगले वर्ष के 31 मार्च की तिथि तक ही भाड़ा पर दिया जाएगा। इस तिथि तक क्रेता को गोदाम खाली कर देना होगा। यदि इस तिथि के बाद भी क्रेता की पत्ती गोदाम में रखी जाती है और गोदाम खाली नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल की तिथि से गोदाम भाड़ा 10% बढ़े हुए दर से वसूल की जाएगी तथा गोदाम को अतिरिक्त समय तक रखे जाने के एवज में "विलम्ब शुल्क" गोदाम में रखे गये अवशेष बोरो की संख्या के आधार पर 20.00 (बीस) रुपये प्रति मानक बोरा प्रति माह (अथवा माह का भाग) की दर से क्रेता वन निगम को भुगतान करेगा।
- (ङ) "गोदाम भाड़े" एवम् "पर्यवेक्षण व्यय" पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सर्विस टैक्स क्रेता द्वारा देय होगा।

- (iv) गोदाम जिसमें पत्ता रखा जायेगा वह पक्का और अच्छी हालत में होगा। यदि गोदाम निगम से किराये पर लिया गया हो, तो क्रेता निगम द्वारा निर्धारित गोदाम भाड़ा का भुगतान समयानुसार करेगा। साथ ही उस गोदाम का निगम के द्वारा सूचित राशि तक बीमा भी निगम के पक्ष में करायेगा।
- (v) पत्ते क्रेता की अभिरक्षा, देख-रेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक/प्रक्षेत्र पदाधिकारी के नियंत्रण में रखे जायेंगे और इस शर्त पर कि गोदाम में निगम का ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया जैसा की प्रमण्डलीय प्रबन्धक ने आदेशित की हो, के अनुसार अभिगमन तथा नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (vi) क्रेता को केन्दू पत्ते का बीमा अग्नि एवं चोरी से होने वाली सम्भावित हानि के लिए अनिवार्य रूप से कराना होगा। क्रेता केन्दू पत्ती के अधिसूचित मात्रा का बीमा इस संविदा सम्पादन के 10 दिनों के अन्दर करा लेगा और परिदान प्रारम्भ होने के पूर्व संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक को संबंधित बीमा पॉलिसी की एक मूल/सत्यापित प्रति (बीमा कम्पनी द्वारा सत्यापित) के साथ समर्पित करेगा।

केन्दू पत्ती का बीमा ऐसी राशि के लिए होगा, जो क्रेता के ऊपर बकाया देय राशि से किसी भी समय कम नहीं होगा और यह भी कि अतिरिक्त संग्रहण की स्थिति में अतिरिक्त संगृहीत केन्दू पत्ती की मात्रा का बीमा भी अतिरिक्त संग्रहण के 10 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से क्रेता को निगम के पक्ष में कराकर उस बीमा पॉलिसी की एक मूल/सत्यापित प्रति (बीमा कम्पनी द्वारा सत्यापित) संबंधित प्रमण्डलीय प्रबन्धक को उपलब्ध कराना होगा।

ये गोदामीकरण सुविधा की विशिष्ट शर्तें हैं। यदि किसी भी कारण बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति की रकम निगम को अदा नहीं करती, तो क्रेता उसके भुगतान के लिए बाध्य होगा। यदि बीमा कम्पनी द्वारा किये गये भुगतान तथा देय राशि में कोई अन्तर है तो यह क्रेता अदा करेगा। बीमाकरण संबंधी सारी प्रक्रिया क्रेता द्वारा पत्तों के परिदान लेने के साथ ही निगम की संतुष्टि के अनुरूप सम्पन्न कर ली जाएगी। यदि किशतों की निश्चित तिथि के पश्चात् क्षतिपूर्ति भुगतान प्राप्त होता है तो क्रेता देय राशि पर (तत्समय जो भी बैंक ब्याज दर लागू होगा की दर से) ब्याज अदा करेगा।

- 8 (i) इस करार के अधीन निगम की देय कोई किशत अथवा राशि तब तक दी गई मानी नहीं

जायेगी जब तक उस पर देय समस्त कर एवं शुल्क का भी भुगतान उसके साथ न कर दिया जाये।

(ii) क्रेता जब तक उसे आयकर पदाधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा छूट नहीं दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार, आयकर का भुगतान करेगा। यथा स्थिति निगम को देय क्रय मूल्य या उसका भाग तब तक भुगतान किया नहीं माना जायेगा, जब तक कि उसके साथ देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया गया हो।

9. यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है तो पत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जायेगा।

10. ifrHkfr fu{ksi %

क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहाँ तक कि इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यो तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा या उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है एवं अपने द्वारा एवं अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक पालन तथा अनुपालन किये जाने के लिए क्रेता के द्वारा "निगम" के पक्ष में बैंक पर भुगतेय बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक द्वारा रू0..... (शब्दों में) तथा बैंक द्वारा निर्गत बैंक गारंटी संख्या दिनांक द्वारा रू0(शब्दों में) की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है।

11. djkjukes dh l ekflr %&

(i) यदि क्रेता देय राशि की अदायगी निर्धारित तिथि तक करने में या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्ही भी अन्य अधिकार तथा उपचारों पर जो निगम को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देते हुए उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा।

- (ii) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जाएगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जायेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी।
- (iii) करार की समाप्ति पर निगम निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :-
- (क) सम्पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि अधिहरित करने,
- (ख) (i) गोदाम में रखे केन्दू पत्ते का, जिसके लिए बकाया रकम या भुगतान नहीं किया गया है, विक्रय करने और हानि की वसूली करने,
- (ii) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, उसकी वसूली करने,
- (iii) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर अधिक राशि प्राप्त होती है तो निगम पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
- (ग) हानि की वसूली के लिए किये गये समस्त व्यय वसूल करने,
- (घ) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियों तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो, वसूल करने।
- (iv) यदि करारनामा समाप्ति के उपरान्त एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्रवाई के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा निगम को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, अर्थदण्ड, निरीक्षण व्यय, कर एवं उपकर आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो निगम अपने स्वविवेक से उक्त करार को रुपये 5000/- अथवा बकाया कुल राशि का 5 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) का शुल्क लेकर पुनर्जीवित कर सकेगा तथा केन्दू पत्ता का अपरिदत्त स्टॉक अथवा गोदाम में रखा समानुपातिक स्टॉक उसे परिदत्त कर दिया जायेगा।
- (v) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः ही प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
12. झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० को देय किसी भी बकाया राशि की वसूली पब्लिक डिमांड की तरह "बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914" के प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी।
13. (i) क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसा लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियाँ ऐसी तिथियों को प्रस्तुत करेगा जैसा निगम एवं उसके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय।
- (ii) क्रेता द्वारा केन्दू पत्ती का झारखण्ड के अन्तर्गत अथवा झारखण्ड के बाहर परिवहन

के दौरान मार्ग में (ट्रान्जीट में) अथवा केन्दू पत्ती के किसी भी रूप में क्षति के लिए वन निगम जवाबदेह/उत्तरदायी नहीं होगा।

(iii) निगम का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि राज्य या राज्य से बाहर आपूर्ति एवं परिवहन की अवधि में केन्दू पत्ती की जाँच एवं निरीक्षण कर सके।

14. यदि करार क्षेत्र में केन्दू पत्ता संग्रहण कार्यों के दौरान वनों की हानि होना पाया जाता है, तो क्रेता यदि वनों की उपरोक्त हानि अर्थात् वृक्षों की अवैध कटाई या आग से बचाने का प्रयास नहीं करता है, अवैध शिकार करता अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है, तो हानि की राशि वसूली के अतिरिक्त क्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर तक की राशि क्रेता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि में से अधिहरित कर ली जायेगी।
15. क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा जारी किये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य, जहाँ तक इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्त्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा।
16. क्रेता केन्दू पत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि उक्त अधिनियम और उक्त नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा।
17. (i) यथास्थिति क्रय मूल्य या उसका अतिशेष समस्त रकम जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा केन्दू पत्तों के लिए परिदान पर, प्रथम प्रभार (first charge) होगी।
(ii) क्रेता केन्दू पत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार केन्दू पत्तों से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा जब तक कि यह प्रभाग पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये।
18. संबंधित पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच संविदा/करारनामा के या उसके किसी भाग की रचना, अर्थ या प्रभाव से उत्पन्न प्रत्येक विवाद, अंतर या प्रश्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को या उनके द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी को एकमात्र विवाचन के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा जो दोनों पक्षों द्वारा अपने मामले रखने तथा उससे सुनने के बाद यथोचित निर्णय देंगे। उनका निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।
19. इस करार से संबंधित विवाद का निपटारा राँची के सक्षम न्यायालय प्राधिकार क्षेत्र में ही होगा। कोई भी मामला, राँची से बाहर के न्यायालय में दाखिल नहीं किया जायेगा।

इसके साक्ष्य में, इसमें उपलिखित दिनांक तथा सन् को निगम के सक्षम

पदाधिकारी ने यहाँ अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और ऊपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

क्रेता/क्रेताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर

हस्ताक्षर एवं मुहर
झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
लिमिटेड राँची की ओर से

गवाह (पूरे पते के साथ)

1

.....

.....

2.

गवाह (पूरे पते के साथ)

1.....

.....

.....

2.....

1/ukSV %& djkj ukek I Ei llu fd, tkus ds i wZ djkj ukek ds i k: i e a okfNr I a kks/ku
dk vf/kdkj ^fuxe^ dks I g f{kr jgsxkA½

3 (ख) AGREEMENT

This Agreement is made on this Day of
..... Between The Jharkhand State Forest Development Corporation Ltd. a Company registered under the Indian Companies Act, 1956, which has its registered office at Hinoo, Ranchi in the State of Jharkhand, hereinafter called the "CORPORATION" which expression, where the context so admits, shall include its authorized officer including successor, representatives and assignees on the part and ,M/s Shri
.....
.....
.....
.....

(Full Address) herein after called the BUYER which expression, where the context so admits, shall include their heirs, executer's and assignees on the other part,-

WHEREAS THE CORPORATION has been entrusted by the State Government of Jharkhand with the full and unfettered right of collection and marketing of Kendu Leaf here in after mentioned as said Forest Produce, in the entire State of Jharkhand.

AND THE CORPORATION after due notice, sold the said forest produce through tender sale on (Date) at (place) in which the BUYER deposited Earnest Money/Part security money amounting to Rs..... (Rupees) (in words)

AND WHERE THE CORPORATION has accepted the offer of the BUYER and has agreed with the BUYER for the sale of the said Forest Produce (Kendu leaves) already collected within the State of Jharkhand from Territorial/Part territorial range/seized Kendu Leaf Lot no..... of.....Range.....Division..... Circle, corresponding to the old unit no.....Notified vide Forest Department's Notification No. S.O.I dated 02-01-1974 and S,O. 1119, dated 17-12-1980 @ Rs..... Only (in words)..... Net lump sum amount (शुद्ध एक मुश्त राशि) (Exclusive of taxes & fees).

AND WHEREAS THE BUYER has furnished Security Deposit in favour of Jharkhand State Forest Development Corporation Limited by Bank Draft No.Dated on..... Bank..... for the amount of Rs..... (Rupees).....

NOW, THEREFORE, IT IS MUTUALIY AGREED AS FOLLOWS, THAT IS TO SAY

(1) The CORPORATION HERE BY grants the BUYER liberty and license for him or his authorized representative to purchase standard bags (in words) Standard bags of said forest produce in the state of .Jharkhand Territorial/ Part Territorial range/seized kendu leaves lot no.....of 200.....

(2) The BUYER shall lift the aforesaid quantity of the said Forest Produce from the CORPORATION @ Rs..... (Rupees)..... Net lump sum amount. The cost of lifting the said Forest Produce from the godown (s) & loading into vehicle will be borne by the BUYER.

(3) The BUYER shall make payment of for the said Forest Produce supplied to him by the corporation at godown.

(4) The BUYER shall either personally or through their authorised representative (s) shall remain present at the time of counting of bags of the said forest produce and loading into vehicle, if he so desires in that case the statement of delivery of the said Forest Produce will be signed by the representatives of both the parties and will be sent to the BUYER by the CORPORATION and will be binding on him.

(5) The CORPORATION WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR damage of the said Forest Produce in transit.

(6) The BUYER shall pay sales tax and/or other taxes and fees as may be applicable on the sale of the said Forest Produce in Jharkhand State from time to time.

(7) Non-payment of dues within stipulated time will be considered as breech of terms of Agreement.

(8) The BUYER SHALL PAY IN ADVANCE AND LIFT ENTIRE QUANTITY of the said Forest Produce, as mentioned below; inclusive of taxes and fees, as admissible:-

(A) 50% of the sale price i.e. Rs..... by..... to be lifted by.....

(B) 50% of the sale price i.e. Rs..... by..... to be lifted by

(i) The Security Money deposited by the purchaser can be adjusted as per the provisions laid down in the terms and conditions for sale.

- (ii) Even if the BUYER has not been able to lift the proportionate quantity of the said Forest Produce of which payment has been made during any particular period, he will still have to pay the purchase price, as per schedule of instalments indicated above, in the period (s) following.
- (iii) The BUYER shall be at liberty to pay during any period (s) amount of instalments more than the amount indicated in the schedule above and lift the proportionate quantity of the said Forest Produce.
- (iv) The purchaser will remove the stocks from the Godown (s) within the last date of delivery earmarked above for each instalment.
- (v) The BUYER shall pay an interest at the rate of 16.25% per annum on the amount outstanding on the scheduled date(s) instalments for the period it remain unpaid. The said rate of interest can, however be increased or decreased corresponding to change in the Bank rate.

(9) No interest shall be payable on the security amount and/or amount advanced by the BUYER for the purchase of said Forest Produce.

(10) The Security deposit or Rs..... (Rupees.....) in full or part there of shall be liable to be adjusted against any outstanding dues of the CORPORATION against the BUYER and shall also be liable to be forfeited by the CORPORATION for breach of any of the terms and conditions of the Agreement.

(11) Failure to pay in advance and lift the quantity of the said forest produce as per schedule of instalments mentioned in clause 8 (eight) above/will be considered as breach of the terms of the Agreement, in which case the CORPORATION shall forfeit the Security Deposit. The CORPORATION will also be free to terminate the Agreement, and have the right to dispose of the said Forest Produce in any manner considered fit. Any loss suffered by the CORPORATION in the process of this resale will also be realisable from the BUYER.

Provided that the CORPORATION will not terminate the Agreement or forfeit the Security Deposit unless as notice has first been issued by Registered Post with Acknowledgement Due as per address in the Agreement to the BUYER to pay the price along with taxes, fees, interest and godown rent and lift the stock within ten days from the date of issue of the notice.

(12) Any Money payable to the Jharkhand State Forest Development Corporation Ltd. shall be recoverable as Public Demand according to the provision of Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

(13) The CORPORATION will make all efforts to supply full quantity of the said Forest Produce to BUYER for which this Agreement has been entered into. The CORPORATION however, will not be responsible for any short supply which may be necessitated due to unforeseen reason. No claim shall lie against the CORPORATION on account of any short supply. However the buyer shall take supply of kendu leaves which exceed the quantity of kendu leaves shown in this agreement.

(14) The BUYER shall not raise any objection about the quality of the said Forest Produce and/ or refuse to take delivery of the said Forest Produce on the ground of quantity.

(15) (i) The CORPORATION reserves the right to check the said Forest Produce in course of delivery as well as in transit of the delivered goods.

(ii) All the terms and conditions of sale/tender notice and the instructions issued from time to time will be part and parcel of this agreement and binding up on the purchaser.

(16) Every dispute, difference or question, which may arise between the parties or their representative with regard to construction meaning and effect of this agreement or any part there of, will be referred for arbitration to the PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, JHARKHAND/ any other officer nominated by him, who will give necessary decision after giving opportunity to both the parties to place their case before him and hearing them. His decision shall be final and binding on the parties and shall not be challengeable in High Court.

(17) The right and liabilities under this Agreement or under any other of title relating to this agreement shall not ordinarily be transferable. However, in special cases the CORPORATION reserves the right to grant permission of such transfer on payment 8% of the total value of the sale price as transfer fee, by the BUYER.

(18) This Agreement, unless terminated earlier, will remain valid till the
(Date) (Month)..... (Year) if the Agreement expires by the affluxation of time and payment has not been made by.....
(Date)..... (Month)..... (Year)..... And/ or lifting of said Forest Produce has not been completed by the (Date).....
(Month)..... (Year)..... this will be considered a breach of the terms of Agreement in which case the Security Deposit shall be liable to be forfeited by the CORPORATION.

Further, all the said Forest Produce which remain unlifted by the BUYERS will become the sole and absolute property of the CORPORATION and the CORPORATION will be free to dispose of the same in any manner considered fit and proper. Any loss suffered by the CORPORATION in the process of the resale will be realisable from the BUYER along with any instalment or instalments remaining outstanding on that date, through the process of law, if not paid on demand within a fortnight. Also in the event of breach of terms of Agreement of the BUYER he shall be debarred from any future deal with the CORPORATION by an order of the CORPORATION.

(19) The time fixed above can, however, be extended beyond the expiry of the agreement on request of the BUYER by agreement between the parties on payment of 5% (five percent) Extension Fee by the BUYER on the outstanding due amount as on last date of the agreement or on a later date (whichever is applicable), if no dues are outstanding, the extension fee will not be chargeable.

Provided the BUYER applies for its extension within fifteen days of the expiry of the agreement on a plain paper, along with an amount of Rs. 100/- (Rupees one hundred) only in the form of Demand Draft on any Nationalised Bank drawn in favour of the Jharkhand State Forest Development Corporation Ltd. payable at Ranchi

(20) In the matter of any dispute arising out of the sale of said Forest Produce by the CORPORATION the Courts of competent jurisdiction at Ranchi will have the sole and exclusive jurisdiction to entertain the suit or other legal proceedings.

In witness there of, the said parties of these presents hereunder set their respective hand and seals on the day and year written above.

Signed & Sealed by
BUYER

Signed and Sealed by On
Behalf of the Jharkhand
State Development

(WITNESS)
(WITH FULL ADDRESS)

(WITNESS)
(WITH FULL ADDRESS)

1.....
.....
2.....
.....

1.....
.....
2.....
.....

4- प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र (लॉट) की सूची

MINOR FOREST PRODUCE PROJECT CIRCLE : RANCHI
M.F.P. PROJECT DIVISION : DHALBHUM

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anandpur	(i) RD Anandpur -A	358 K	Baranga (K)	2050	Raikera/ Manoharpur	
			358 K h	Baranga (Kh)	1350		
			Total		3400		
		(ii) RD Anandpur- B	359	Anandpur	1000		
			361	Unduda	1600		
			Total		2600		
		(iii) RD Anandpur -C	360 K	Moranga (K)	1200		
			360 Kh	Moranga (Kh)	1300		
			Total		2500		
		(iv) RD Anandpur -D	362 K	Gulruban (K)	1000		
362 Kh	Gulruban (Kh)		1500				
Total			2500				
Total			11000				
2	Goelkera	(i) RD Bera	363	Bera	2200	Manoharpur Chakradharpur do do do do do do do do	
			Total		2200		
		(ii) RD Kolhan - A1	371 K	Goelkera (K)	900		
			371 Kh	Goelkera (Kh)	1450		
			Total		2350		
		(iii) RD Kolhan - A2	372 K	Patunga (K)	650		
			372 Kh	Patunga (Kh)	900		
			Total		1550		
		(iv) RD Kolhan - B 1	373 K	Posaita (K)	1550		
			374 K	Timra (K)	750		
			Total		2300		
		(v) RD Kolhan - B 2	373 kh	Posaita (Kh)	1350		
			374 kh	Timra (Kh)	1050		
Total			2400				
(vi) RD Koina	357 k	Koina (K)	2250				
	Total		2250				
(vii) RD Samta	356	Samta	2800				
	Total		2800				
Total		15850					
3	Chaibasa	(i) RD Saitawa	366 k	Saitawa (K)	1500	Chaibasa	
			366 kh	Saitawa (Kh)	1400		
			367 k	Khutapani (K)	1100		
			367 kh	Khutapani (Kh)	1100		
			Total		5100		
		(ii) RD Chaibasa-A	375 k	Roro (K)	1000		
375 kh	Roro (Kh)		950				
Total			1950				

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iii) RD Chaibasa-B	376	Jorapokhar	1550	do	
			377	Bichaghutu	1000	do	
			Total		2550		
		(iv) RD Hatgamharia-A	378	Hatgamharia	1300	do	
			379	Kharbandh	1000	do	
			Total		2300		
		(v) RD Hatgamharia-B	380 k	Majhgaon (k)	1350	do	
			380 kh	Majhgaon (kh)	1000	do	
			Total		2350		
		(vi) RD Gua	357	Gua	300	do	
			Total		300		
		(vii) RD Nowamundi	381	Kotagarh	1900	do	
			382	Barajamda	350	do	
			383	Jaintgarh	650	do	
Total			2900				
Total		17450					
4	Chakradharpur	(i) RD Santara -A	368 k	Kuira (k)	1550	Chakradharpur	
			368 kh	Kuira (kh)	1550	do	
			Total		3100		
		(ii) RD Santara- B	369	Sangajuta	1400	do	
			370	Latua	1600	do	
			Total		3000		
		(iii) RD Kundrugutu	364	Kundrugutu	2500	do	
			Total		2500		
		(iv) RD Songara	365	Songara	1500	do	
			Total		1500		
		(v) RD Kera-A	384	Toklo	500	do	
			Total		500		
		(vi) RD Kera -B	385	Kera	700	do	
			386	Karaikela	1000	do	
			Total		1700		
		(vii) RD Kharsawan -B	393	Lepso	800	Kharsawan	
			394	bandih	700	do	
			395	Jojohatu	1600	do	
Total			3100				
(viii) RD Kharsawan - C	396	Jomro	450	Chakradharpur			
	397	Gomiadih	500	- do -			
	398	Meromgunga	500	- do -			
	Total		1450				
Total		16850					
5	Chakulia	(i) RD Musabani-A	419 k	Musabani k	1100	Chakulia/	
			419 kh	Musabani kh	1800	Dhalbhumgarh	
			Total		2900		
		(ii) RD Musabani- B	420 k	Gudabanda (k)	1200	Musabani/ Galudih	
			420 kh	Gudabanda (kh)	1700		
			420 G	Gudabanda (g)	1200	- do -	
			Total		4100		

Sl. No	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks	
			Number	Name				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		(iii) RD Musabani- C1	421 k	Besarpahari (k)	950	Musabani/ Galudih	- do -	
				Total	950			
		(iv) RD Musabani -C2	421 kh	Besarpahari (kh)	1400			
				Total	1400			
		(v) RD Ghatshila - A	422	Galudih	1250			
				Total	1250			
		(vi) RD Ghatshila- B	423	Ghatshila	2000			
				Total	2000			
		(vii) RD Dhalbhumgarh	424 k	Dhalbhumgarh (k)	1300			- do -
			424 kh	Dhalbhumgarh (kh)	1550			- do -
			424 G	Dhalbhumgarh (g)	900			- do -
				Total	3750			
		(viii) RD Chakulia	425	Chakulia	1800			- do -
			426 k	Baharagora (k)	1450			- do -
426 kh	Baharagora (kh)		850	- do -				
	Total		4100					
			Total	20450				
6	Mango	(i) RD Chandil-A	406	Rayadih	900	Jamshedpur/ Chandil		
			408	Khunti	1000			
			410	Ramnagar	900		- do -	
				Total	2800			
		(ii) RD Chandil -B	404	Chandil	400		- do -	
			405	Raunny	400		- do -	
			407	Kadla	450		- do -	
				Total	1250			
		(iii) RD Chandil - C	409	Banma	1200		- do -	
				Total	1200			
		(iv) RD Mango	411	Dalma	50		- do -	
			412	Mango	100		- do -	
			413 k	Bhilaipahari (k)	750		- do -	
			413 kh	Bhilaipahari (kh)	600		- do -	
			414	Nutandih	0		- do -	
			415	Patamda	500		- do -	
				Total	2000			
		(v) RD Rakhamines -A1	416	Roam	1300		- do -	
				Total	1300			
		(vi) RD Rakhamines -A2	417 k	Kalikapur (k)	1200		- do -	
			417 kh	Kalikapur (kh)	1000		- do -	
417 G	Kalikapur (g)		500	- do -				
	Total		2700					
(vii) RD Rakhamines -B	418	Kawali	2250	- do -				
		Total	2250					

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
1	2	3	4 Number	5 Name	6	7	8
		(viii) RD Kharsawan -A1	387	Rajjama	700	Adityapur/ Jamshedpur/ Kharsawan	
			388	Lakhandi	500		
			389	Raidih	500		
			Total		1700		
		(ix) RD Kharsawan -A2	390	Kashidih	1000	Chakradharpur	
			391	Pori	1000	- do -	
			392	Byang	400	- do -	
			Total		2400		
		(x) RD Saraikela- A	399	Kandra	450	- do -	
			401	Udaipur	1050	- do -	
			Total		1500		
		(xi) RD Saraikela- B	400	Sini	600	- do -	
			402	Balarpur	350	- do -	
			Total		950		
		(xii) RD Saraikela- C	403 k	Rajnagar (k)	450	- do -	
			403 kh	Rajnagar (kh)	300	- do -	
			Total		750		
			Total		20800		
			Grand Total		102400		

MINOR FOREST PRODUCE PROJECT CIRCLE : RANCHI
M.F.P. PROJECT DIVISION : RANCHI

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks	
			Number	Name				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lohardaga	(i) RR Richuguta -A	249	Bulbul	500	Lohardaga/ Latehar/Kuru - do -		
			250	Kerar	250			
			251	Putrar	500			
				Total		1250		
		(ii) RR Richuguta- B	252	Sangodih	600	- do -		
			253	Makka	550	- do -		
			254	Peshrar	1300	- do -		
			255	Devaria	1350	- do -		
			256	Siram	500	- do -		
					Total			4300
		(iii) RR Lohardaga -A	316 k	Kudu Beat (k)	900	- do -		
			316 kh	Kudu Beat (kh)	400	- do -		
					Total			1300
		(iv) RR Lohardaga -B	315 k	Lohardaga Beat (k)	850	- do -		
			315kh	Lohardaga Beat (kh)	450	- do -		
			317	Pessar Beat	650	- do -		
			318	Turiya Beat	400	- do -		
			Total		2350			
			Total		9200			
2	Ranchi	(i) RR Burmu	319	Mandar Beat	500	Chandwa - do -		
			320	Khalari Beat	400			
			321	Burmu Beat	400			
				Total		1300		
		(ii) RR Mahilong -A1	285	Maheshpur	150	Ranchi/ Mahilong		
			286	Harhap	350	- do -		
			287	Rajadera	500	- do -		
				Total		1000		
		(iii) RRMahilong -A2	288	Kamta	1800	- do -		
					Total		1800	
		(iv) RRMahilong -B	289	Patratu	700	- do -		
			290	Haridih	550	- do -		
			291	Silli	2000	- do -		
				Total		3250		
		(v) RR Kanke,Karra, Bero	304	Jaria	200	Ranchi		
			305	Bero	600	- do -		
			306	Ranchi West	200	- do -		
307	Ranchi		0	- do -				
		Total		1000				
		Total		8350				

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Khunti	(i) RR Tamar -A	292	Rahe	1050	Khunti/Bundu - do - - do - - do -		
			293	Sarjamdih	650			
			297	Tamar	1950			
			298	Nawadih	1000			
				Total	4650			
		(ii) RR Tamar -B	294	Jargo	2000			- do -
			295 k	Lugtu (k)	1600			- do -
				Total	3600			
		(iii) RR Tamar- C	295 kh	Lugtu (kh)	2200			- do -
			296	Arki	1000			- do -
				Total	3200			
		(iv) RR Khunti- A	299	Karo-Nadi (S.D.)	1250			- do -
			300	Karo-Nadi (N.D.)	400			- do -
				Total	1650			
(v) RR Khunti- B	301	M.B. Road (S)	1250	- do -				
	302	M.B. Road (N)	1500	- do -				
	303	Khunti	600	- do -				
		Total	3350					
		Total	16450					
4	Gumla	(i) RR Chainpur	325	Chainpur	1200	Chainpur/ Ghaghara		
				Total	1200			
		(ii) RR Gumla	326	Raidih	450	Gumla		
			327	Gumla	450	- do -		
			328	Sisai	400	- do -		
			329	Basia	550	- do -		
				Total	1850			
		(iii) RR Banari	308 k	Jamti Beat (k)	1200	Banari		
			309 kh	Jamti Beat (kh)	750	- do -		
			310	Banari Beat (k)	650	- do -		
			311	Banari Beat (kh)	500	- do -		
			312	Banari Beat (g)	400	- do -		
			313	Netarhat Beat (k)	400	- do -		
			314	Netarhat Beat (kh)	300	- do -		
	Total	4200						
(iv) RR Adar	322	Adar Beat	400	Banari/ Ghagra				
	323	Tender Beat	200	- do -				
	324	Manhepat Beat	500	- do -				
		Total	1100					
	Total	8350						
5	Simdega East	(i) RR Simdega East-A1	341	Lasiya	1300	Simdega		
				Total	1300			
		(ii)RR SimdegaEast-A2	342	Kolebira	900	Kolebira Simdega		
			343	Domtoli	800			
				Total	1700			

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iii) RR Simdega East-B1	349 k 350	Latakel (k) Bano	1600 800	- do - - do -	
		(iv) RR Simdega East-B2	349 kh 351	Latakel (kh) Konsai	1350 1250	- do - - do -	
				Total	2400		
		(v)RR Simdega East-C	353 354	Simdega Meromdega	1300 2000	- do - - do -	
				Total	3300		
		(vi)RR Simdega East-D	346 347 348	Parwa Jaldega Ramjari	550 2350 850	- do - - do - - do -	
				Total	3750		
		(vii) RR Simdega East-E	344 345 355	Kulamara Bansjore Jampani	1250 500 2150	- do - - do - - do -	
				Total	3900		
				Total	18950		
6	Simdega west	(i) RR Simdega West-A1	332	Banabira	2500	Thethaitanger	
		(ii) RR Simdega West-A2	335	Konpala	1700	Thethaitanger	
		(iii) RR Simdega West-B	336 337	Kinkel Kurdeg	2000 1550	Bolwa/Kurdeg Thethaitanger/Simdega	
				Total	3550		
		(iv) RR SimdegaWest-C1	333	Khunti toli	1600	Thethaitanger	
		(v) RR SimdegaWest-C2	334	Thethaitanagar	3150	- do -	
		(vi) RR Simdega West-D	338 339 340	Tesar Thalmanga Bolwa	1450 1650 1700	Simdega/ Thethaitanga - do - - do -	
				Total	4800		
		(vii)RR Simdega West –E1	352	Arani	500	- do -	
		(viii)RR Simdega West –E2	331	Kawandih	600	- do -	
				Total	18400		
7	Chandwa	(i) RR Chandwa -A	257 258	Boda Chetar	1300 1150	chandwa - do -	
				Total	2450		
		(ii) RR Chandwa -B1	259 260 261	Sikni Latdag Chutudag	950 800 600	- do - - do - - do -	
				Total	2350		
		(iii) RR Chandwa -B2	262 263 264 270	Tarhasi Erudh Negar Tourist	600 1000 700 400	- do - - do - - do - - do -	
				Total	2700		

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iv) RR Chandwa -C	267	Mahua	1000	- do -	Chandwa/ Balumath
			268	Chakla	600	- do -	
			269	Sasti	300	- do -	
			265	Bazilling	900	- do -	
			266	Ganiyari	600	- do -	
				Total	3400		
		(v) RR Balumath -A1	271	Katang	1200	- do -	
			273	Chuku	1000	- do -	
				Total	2200		
		(vi) RR Balumath -A2	272	Harheng	1200	- do -	
			274	Diridag	550	- do -	
			277	Herenhoppa	1100	- do -	
				Total	2850		
		(vii) RR Balumath-B/1	278	Lacchopur	1000	- do -	
			279	Gerenja	600	- do -	
				Total	1600		
		(viii) RR Balumath-B/2	281	Saregarh	800	- do -	
			276	Matkoma	800	- do -	
				Total	1600		
		(ix) RR Balumath-B/3	282	Besra	2000	- do -	
				Total	2000		
		(x) RR Balumath -C1	275	Gargoma	1700	- do -	
			280	Ghetang	850	- do -	
				Total	2550		
		(xi) RR Balumath -C2	283	Jhirmatkoma	1200	- do -	
			284	Zabra	1300	- do -	
				Total	2500		
				Total	26200		
				GRAND TOTAL	105900		

MINOR FOREST PRODUCE PROJECT CIRCLE : HAZARIBAGH

M.F.P. PROJECT DIVISION : DALTONGANJ

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84 Number Name		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manatu	(i) HD Manatu -A1	16	Kundlipur	1500	Medininagar - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do -	
			17	Adouria	2000		
			Total		3500		
		(ii) HD Manatu -A2	18	Tandwa	900		
			Total		900		
		(iii) HD Manatu -B	22	Banshi	2050		
			19	Nagad	1600		
			Total		3650		
		(iv) HD Manatu -C1	20	Dhuma	1700		
			21	Chiho	1250		
			Total		2950		
		(v) HD Manatu -C2	15	Manatu	2500		
			Total		2500		
		(vi) HD Manatu -D1	25	Goindi	2500		
			Total		2500		
		(vii)HD Manatu -D2	26	Mitar	1750		
			Total		1750		
		(viii)HD Manatu- E1	23	Sildilla	1000		
			24	Visrao	1050		
Total			2050				
(ix) HD Manatu -E2	27	Kasmar	2200				
	Total		2200				
	Total		22000				
2	Daltonganj	(i) HD Patan -A1	55	Saguni	900	Rehla/Medininagar - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do - - do -	
			59	Kanda	1400		
			Total		2300		
		(ii) HD Patan -A2	56	Patan	1600		
			58	Rajderwa	900		
			Total		2500		
		(iii) HD Patan -B	60	Nawakhas	1350		
			62	Chetma	1200		
			63	Bura	1800		
			Total		4350		
		(iv) HD Patan -C	57	Kolhua	1350		
			61	Imlikhas	2000		
			64	Loinga	1500		
			Total		4850		
		(v)HD Chhatarpur East	65	Kharwardih	300		
			68	Manjhauli	700		
			69	Nath	450		
			70	Bardiha	400		
			71	Salaiya	1100		
			72	Dagra	1200		
73	Manandohar		500				
74	Kosiara		650				
Total		5300					

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
		(vi)HDChhatarpur west	78	Pathara	350	- do -	
			79	Lalgarha	1000	- do -	
				Total	1350		
				Total	20650		
3	Kundri	(i) HD Kundri-A/1	33	Saraiya	1000	- do -	
			39	Tetra	850	- do -	
				Total	1850		
		(ii) HD Kundri -A/2	28	Kundri	900	- do -	
			40	Kanwoi	1400	- do -	
				Total	2300		
		(iii) HD Kundri-B1	29	Purnadih	1350	- do -	
			54	Jorket	1250	- do -	
				Total	2600		
		(iv) HD Kundri-B2	30	Kewetbar	1150	- do -	
			53	Karma	700	- do -	
				Total	1850		
		(v) HD Kundri-C1	32	Hutlong	850	- do -	
			34	Hotai	950	- do -	
			31	Duwarasa	550	- do -	
				Total	2350		
		(vi) HD Kundri-C2	52	Chaapi	750	- do -	
			36	Bagri	1700	- do -	
				Total	2450		
		(vii) HD Kundri-D/1	35	Salemdir	1400	- do -	
			37	Maran	900	- do -	
				Total	2300		
		(viii)HDKundri-D/ 2	38	Kamat	750	- do -	
			41	Lawabar	1200	- do -	
				Total	1950		
		(ix) HD Kundri-E 1	42	Ulgara	450	- do -	
43	Navadih		1400	- do -			
	Total		1850				
(x) HD Kundri-E 2	50	Gorodiri	800	- do -			
	51	Loharsi	1650	- do -			
		Total	2450				
(xi) HD Kundri-F1	44	Makta	600	- do -			
	45	birbir	1000	- do -			
	46	Andag	550	- do -			
	47	Porsam	700	- do -			
		Total	2850				
(xii) HD Kundri-F2	48	Matnag	1300	- do -			
	49	Garihara	800	- do -			
		Total	2100				
		Total	26900				
4	Manika	(i) HD Manika- A	228	Manika	1550	Latehar	
			229	Bhatko	850	- do -	
				Total	2400		
		(ii) HD Manika- B/1	219	Bendi	1000	- do -	
			220	Dewdar	1400	- do -	
				Total	2400		
		(iii) HD Manika-B/2	221	Dundu	2000	- do -	
	Total		2000				

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iv) HD Manika -C	223	Rewatklan	1200	- do -	
			224	Lawagarh	1100	- do -	
			225	Sardam	900	- do -	
			226	Bariatu	1850	- do -	
			Total	5050			
		(v) HD Manika-D/1	222	Matlong	1700	- do -	
			230	Chechendha	750	- do -	
				Total	2450		
		(vi) HD Manika- D/2	227	Baranshaimakla	2650	- do -	
				Total	2650		
		(vii) HD Barwadih	5 k	Barwadih (k)	2000	- do -	
			5 kh	Barwadih (kh)	550	- do -	
			9	Mandal	950	- do -	
				Total	3500		
	Total		20450				
5	Latehar	(i) HD Latehar -A	231	Saryu	1000	Latehar	
			237	Ghangri	2000	- do -	
			238	Hartua	1500	- do -	
				Total	4500		
		(ii) HD Latehar -B	235	Demu	1850	- do -	
			236	Windeer	1000	- do -	
			233	Latehar	1700	- do -	
			234	Jagaldagga	1200	- do -	
				Total	5750		
		(iii)HD Latehar-C	239	Hotbag	1550	- do -	
			242	Mangra	1200	- do -	
			243	Deehi	1500	- do -	
			248	Sasang	950	- do -	
				Total	5200		
		(iv)HD Latehar-D	240	Patki	2400	- do -	
			241	Jaram	2050	- do -	
			245	Sohdag	2000	- do -	
				Total	6450		
		(v) HD Latehar-E	246	Patratu	1100	- do -	
			244	Chundi	1800	- do -	
			247	Gurtur	1400	- do -	
	Total		4300				
	Total		26200				
	Grand Total	116200					

MINOR FOREST PRODUCE PROJECT CIRCLE : HAZARIBAGH

M.F.P. PROJECT DIVISION : GARHWA

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nagar	(i) HG Nagar-A	200	Garbandh	1500	Rehla/Garhwa	
			201	Alkar	1150	-do-	
			202	Kumba khurd	2450	-do-	
				Total	5100		
		(ii) HG Nagar-B	203	Birbai	1650	-do-	
			204	Sangma	1600	-do-	
			205	Matiari	400	-do-	
			206	Rakshi	2600	-do-	
				Total	6250		
		(iii) HG Nagar-C	207	Kumbakuala	800	-do-	
			208	Dhurki	1550	-do-	
			209	Morchaiya	1300	-do-	
			213	Ambokhoria	1900	-do-	
				Total	5550		
		(iv) HG Nagar-D	214	Labraya Paraspni	2050	-do-	
			215	Bhumphore	3200	-do-	
				Total	5250		
		(v) HG Nagar-E	211	Kedwa	3400	-do-	
			212	Manchipani	1900	-do-	
				Total	5300		
	Total		27450				
2	Garhwa -I	(i) HG Garhwa (P)-A	179	Koinda	1100	Rehia/Garhwa	
			180	Chapperdag	700	-do-	
			185	Ramna	800	-do-	
			199	Patagara	800	-do-	
				Total	3400		
		(ii) HG Garhwa (P)-B	181	Aur mandohar	400	Rehia/Garhwa	
			182	Jirwa	650	-do-	
			183	Bulka	550	-do-	
			184	Sonhara	1900	-do-	
			210	Rari	1900	-do-	
				Total	5400		
		(iii) HG Garhwa (P)-C	186	Hasandag	600	-do-	
			187	Jarhi	800	-do-	
			188	Sikaria	400	-do-	
			189	Tisuretika	450	-do-	
			190	Chama	1900	-do-	
191	Gobardaha		800	-do-			
	Total	4950					

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iv) HG Garhwa (P)-D	192	Nawadih	850	-do-	
			193	Aokhargadda	650	-do-	
			194	Garul	600	-do-	
			195	Jersi	900	-do-	
			196	Vikitama	500	-do-	
			197	Ranitali	550	-do-	
			198	Banka	1000	-do-	
				Total	5050		
				Total	18800		
3	Garhwa -II	(i) HG Ranka West (P)-A	95	Rajbans	900	-do-	
			96	Chapkali	3350	-do-	
			97	Masra	1200	-do-	
				Total	5450		
		(ii) HG Ranka West (P)-B	98	Nagro	2000	-do-	
			99	Ranpura	1950	-do-	
			100	Chiniya	1450	-do-	
				Total	5400		
		(iii) HG Ranka West (P)-C	101	Sinsiakala	900	-do-	
			103	Hetarkala	1800	-do-	
			102	Sewadih	1000	-do-	
			104	Side	1000	-do-	
				Total	4700		
				Total	15550		
4	Ranka	(i) HG Ranka East (P)-A	105	June	950	Rehla	
			106	Bandu	900	-do-	
			107	Katra	1700	-do-	
			108	Bharui	1650	-do-	
			109	Bishrampur	1650	-do-	
				Total	6850		
		(ii) HG Ranka East (P)-B	115	Hurdang	2400	-do-	
			116	Kanchanpur	950	-do-	
			117	Puch lewa	950	-do-	
			110	Kerwa	900	-do-	
			114	Siswa	1400	-do-	
				Total	6600		
		(iii) HG Ranka East (P)-C	111	Ramkanda	1700	Daltonganj	
			112	Path	1450	-do-	
			113	Rakshi	1050	-do-	
				Total	4200		
		(iv) HG Chainpur-A	118	Saram	1400	-do-	
			119 k	Saltua(k)	400	-do-	
			119 kh	Saltua(kh)	250	-do-	
			120	Hisera	400	-do-	
			121 k	Sarhua (k)	900	-do-	
			121 kh	Sarhua (kh)	500	-do-	
				Total	3850		

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
		(v) HG Chainpur-B	122	Adar	550	-do-	
			123	Pende	750	-do-	
			124	Aara Garha	1200	-do-	
			125	Huntar	1600	-do-	
			126	Ramgarh	1200	-do-	
				Total	5300		
				Total	26800		
5	Bhawanathpur	(i) HG Bhawanathpur-A	155	Kharaundhi	2000	Nagar	
			156	Husuru	850	-do-	
			157	Parti kushwani	950	-do-	
			158	Kuppa	1200	-do-	
				Total	5000		
		(ii) HG Bhawanathpur-B	159	Rohaniya	1400	-do-	
			160	Bansani	900	-do-	
			161	Makari	750	-do-	
			162	Arsali	2050	-do-	
				Total	5100		
		(iii) HG Bhawanathpur-C1	163	Ghaghra	800	-do-	
			164	Baligarh	1000	-do-	
			165	Panchdumer	850	-do-	
			166	Chundih	500	-do-	
				Total	3150		
		(iv) HG Bhawanathpur-C2	167	Ghanimarndra	675	-do-	
			168	Konbhandra	750	-do-	
			169	Chaura	650	-do-	
			170	Phulwar	750	-do-	
				Total	2825		
		(v) HG Bhawanathpur-D	171	Majhigaon	2250	-do-	
			172	Chataniya	1250	-do-	
			173	Bardiha	500	-do-	
				Total	4000		
		(vi) HG Bhawanathpur-E	174	Kailan	1300	-do-	
			175	Jekabhuchkum	450	-do-	
			176	Semri	350	-do-	
			177	kauakhoh	500	-do-	
			178	Rampur	600	-do-	
				Total	3200		
				Total	23275		
6	Bhandaria	(i) HG Kutku-A	127	Chaplasi	1900	D. Ganj/	
			128	Bijaka	1250	Garhwa	
				Total	3150		
		(ii) HG Kutku-B	129	Karan	800	-do-	
			130	Paro	1000	-do-	
			131	Lodhaki	950	-do-	
				Total	2750		

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks	
			Number	Name				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		(iii) HG Bhandariya-A	138	Hesatu	300	Rehla/Garhwa		
			139	Tehri	950			-do-
			140	Kal	1050			-do-
			141	Paraswar	1200			-do-
			142	Khajoori	1200			-do-
			Total	4700				
		(iv) HG Bhandariya-B1	143	Baragarh	1250	-do-		
			144	Salo	750	-do-		
				Total	2000			
		(v) HG Bhandariya-B2	145	Gariya	1600	-do-		
			146	Maghwar	1650	-do-		
				Total	3250			
		(vi) HG Bhandariya-C	147	Ramar	1050	-do-		
			148	Lodidih	750	-do-		
			149	Bhandaria	1550	-do-		
150	Tewali		900	-do-				
	Total		4250					
(vii) HG Bhandariya-D	151	Rodo	1000	-do-				
	152	Birajpur	1050	-do-				
	153	Bairiya	800	-do-				
	154	Saraidih	1750	-do-				
		Total	4600					
		Total	24700					
7	Mohammadganj	(i) HG Chhatarpur East -P	66	Khalwar	500	Rehla		
			67	Tensar	550		-do-	
				Total	1050			
		(ii) HG Chhatarpur West-P1	75	Baksara	1200	-do-		
			76	Basdohar	600	-do-		
			77	Shikarpur	500	-do-		
				Total	2300			
		(iii) HG Chhatarpur West -P2	80	Deogan	600	-do-		
			81	Bargai	600	-do-		
			82	Larmi	500	-do-		
				Total	1700			
		(iv) HG Mohammadganj-A1	84	Kodal Kurmi	500	-do-		
			85	Untari Road	600	-do-		
				Total	1100			
		(v) HG Mohammadganj-A2	83	Mohammadganj	500	-do-		
			87	Singaria	950	-do-		
			88	Tundila	450	-do-		
				Total	1900			
		(vi) HG Mohammadganj -B	86	Dalakala	600	-do-		
			89	Sigsigi	750	-do-		
			90	Ghartia	600	-do-		
91	Nawadih kala		750	-do-				
92	Karta		600	-do-				
93	Ghasidag		450	-do-				
94	Hutai		750	-do-				
	Total		4500					
	Total	12550						
	Grand Total	149125						

MINOR FOREST PRODUCE PROJECT CIRCLE : HAZARIBAGH

M.F.P. PROJECT DIVISION : Hazaribagh

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84 Number Name		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Chauparan	(i) HH Chauparan -A	572 kh	Danua	3100	Tilaiya		
			Total		3100			
		(ii) HH Chauparan -B1	573	Chauparan	2850			Tilaiya
			Total		2850			
		(iii) HH Chauparan -B2	574	Etkhori	2500			-do-
			Total		2500			
		(iv) HH Barhi -A	443	Padma	1850			Barkatha/Barhi Hazaribagh
			444	Surajpura	1300			
			Total		3150			
		(v) HH Barhi -B	445	Nagar Barsaut	1600			Barkatha -do-
			446	Pandarya	1600			
			Total		3200			
		(vi) HH Barhi -C	448	Dumdumi	900			-do- -do- -do-
			449	Belkappi	550			
			450 k	Ghanghri(k)	1250			
Total			2700					
(vii) HH Barhi -D	450 kh	Ghanghri (kh)	850		-do- -do-			
	447	Kendua	1300					
	Total		2150					
(viii) HH Ghajhandi -C	571	Kathamba	3950					
	Total		3950					
	Total		23600					
2	Koderma	(i) HH Domchach-A	561	Markacho	3000	-do- -do- -do- -do- -do- -do- -do-		
			Total		3000			
		(ii) HH Domchanch-B	562	Dhab	1950			
			Total		1950			
		(iii) HH Domchach-C	563	Domchanch	2650			
			Total		2650			
		(iv) HH Koderma -A	567	Koderma	1100			
			Total		1100			
		(v) HH Koderma- B	565	Dhodhakola	1000			
			Total		1000			
(vi) HH Gajhandi -A	569	Gajhandi	3650					
	Total		3650					
(vii) HH Gajhandi -B	570	Nawadih	3000					
	Total		3000					
	Total		16350					
3	Hazaribagh-I	(i) HH National Park	472	Karmatand	600	Hazaribagh -do- Hazaribagh -do- -do-		
			473	Narayanpur	1250			
			Total		1850			
		(ii) HH Hazaribagh sadar-A	467	Manar	1100			
			468	Katkam Sandi	1650			
469	Bargaon	400						
Total		3150						

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No.2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iii) HH Hazaribagh Sadar-B	470	Kushumba	800	-do-	
			471	Besa	1350	-do-	
				Total	2150		
		(iv) HH Daru	431	Kanhari Beat (East)	300	-do-	
			432	Kanhari (West)	450	-do-	
			433	Ango Beat	2150	-do-	
				Total	2900		
		(v) HH Mandu	434	Charhi Beat	1500	Charhi/Mandu	
			435	Mandu Beat	1650	-do-	
			Total	3150			
		(vi) HH Kuju	436	Kuju Beat	1350	-do-	
				Total	1350		
		(vii) HH Ramgarh (p)-A	475	Patratu	700	Ramgarh	
			477	Mormkala	300	-do-	
478	Ramgarh		600	-do-			
	Total		1600				
			Total	16150			
4	Hazaribagh-II	(i) HH Tandwa-A	451	Padmapur	1250	Hazaribagh	
			452	Serendag	1250	-do-	
			453	Raham	1000	-do-	
			Total	3500			
		(ii) HH Tandwa-B	454	Solga	1200	-do-	
			455	Tarawan	450	-do-	
			456	Kalyanpur	350	-do-	
			457	Banpur	500	-do-	
			Total	2500			
		(iii) HH Barkagaon -A1	458	Tarhesa	800	Hazaribagh	
			459	Kandaber	1300	-do-	
			Total	2100			
		(iv) HH Barkagaon- A2	460	Jugra	2000	-do-	
			461	Badam	1000	-do-	
			Total	3000			
		(v) HH Barkagaon -B 1	462	Palandu	800	-do-	
			466	Chani	1000	-do-	
			Total	1800			
		(vi) HH Barkagaon -B 2	463	Bundu	600	-do-	
			464	Hindgir	650	-do-	
			465	Jarjara	400	-do-	
	Total		1650	-do-			
			Total	14550			
5	Vishnugarh	(i) HH Bagodar-A	428 k	Bagodar (k)	1300	Saria/Araki	
			428 kh	Bagodar (kh)	1350	-do-	
				Total	2650		
		(ii) HH Bagodar-B	429 k	Vishnugarh (k)	850	Narki	
			429 kh	Vishnugarh (kh)	1300	-do-	
				Total	2150		
		(iii) HH Bagodar-C	430 k	Tati Jharia (k)	1400	H. Bagh	
			430 kh	Tati Jharia (kh)	1100	-do-	
				Total	2500		

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No.2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iv) HH Gomia-A	437	Chatrochtti Beat	5000	Jakund/ Naraki	
				Total	5000		
		(v) HH Gomia -B	438 k	Gomia (k)	2400	Gomia/Naraki	
			438 kh	Gomia (kh)	1650	-do-	
				Total	4050		
		(vi) HH Gomia -C	439 k	Punnu (k)	2200	Narki	
			439 kh	Punnu (kh)	1800	-do-	
				Total	4000		
		(vii) HH Gomia -(P) B1	479 k	Chakrawali (k)	550	-do-	
			479 kh	Chakrawali (kh)	1150	-do-	
				Total	1700		
		(viii) HH Gomia -(P) B2	480	Saram	750	-do-	
			481	Uparbarga	650	-do-	
			476	Balkundra	200	-do-	
		Total	1600				
(ix) HH Peterwar-A	440	Petarwar	1300	-do-			
	441	Banhadih	350	-do-			
		Total	1650				
(x) HH Peterwar-B	442	Bagiyari Beat	2200	-do-			
		Total	2200				
			Total	27500			
6	Hunterganj	(i) HH Hunterganj(p)-A	482 k	Sohad (k)	1100	Hunterganj	
			483k	Zabrah (k)	1150	-do-	
			483kh	Zabrah (kh)	2250	-do-	
				Total	4500		
		(ii) HH Hunterganj(p)-B	482 kh	Sohad (kh)	1100	-do-	
			488 k	Pandrokala(k)	1200	-do-	
			488 kh	Pandrokala(kh)	1200	-do-	
				Total	3500		
		(iii) HH Hunterganj(p)-C	484 k	Karma (k)	2000	-do-	
			484 kh	Karma (kh)	1950	-do-	
			487	Arjunkhurd	1900	-do-	
				Total	5850		
		(iv) HH Hunterganj (p) -D	485	Pipra	2400	-do-	
			486	Jhiktaiya	2500	-do-	
				Total	4900		
		(v) HH Hunterganj (p) -E1	491 k	Dokwa (k)	800	-do-	
			491 kh	Dokwa (kh)	950	-do-	
			491 G	Dokwa (g)	950	-do-	
				Total	2700		
(vi) HH Hunterganj (p) -E2	493	Paharpur	2400	-do-			
		Total	2400				
(vii) HH Hunterganj(p)-F1	489	Tarwagra	3350	-do-			
		Total	3350				
(viii) HH Hunterganj(p)-F2	490	Ghanghari	2100	-do-			
		Total	2100				
(ix) HH Hunterganj (p)-G	492	Fulwariya	3200	-do-			
	494	Korhans	1250	-do-			
		Total	4450				
			Total	33750			

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No.2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Partappur	(i) HH Partappur-A	495	Jogidih	1650	Jori	
			496	Narayanpur	2500	-do-	
			497	Bajrahi	1350	-do-	
				Total	5500		
		(ii) HH Partappur-B1	498 k	Bilaspur (k)	1100	Jori	
			498 kh	Bilaspur (kh)	2450	-do-	
				Total	3550		
		(iii) HH Partappur-B2	500	Rabda	2400	-do-	
				Total	2400		
		(iv) HH Partappur-C	501	Angarha	2150	Jori	
			503	Jirabara	1850	-do-	
			504	Dineswar	1000	-do-	
				Total	5000		
		(v) HH Partappur-D	505 k	Jogiyara (k)	1150	Jori	
			505 kh	Jogiyara (kh)	2200	-do-	
				Total	3350		
		(vi) HH Partappur-E	499	Partappur	3200	Jori	
502	Badhar		2100	-do-			
	Total		5300				
	Total		25100				
8	Chatra	(i) HH Chatra (P) -A	543	Pitij	1200	Chatra	
			544	Etkhori	300	-do-	
			545	Barisakhi	650	-do-	
			546	Girdhore	1550	-do-	
			547	Gangapur	1000	-do-	
				Total	4700		
		(ii) HH Chatra (P) -B	548	Patalgarha	1350	-do-	
			549	Nawadih	950	-do-	
			556	Hafua	2000	-do-	
			559	Dahari	1250	-do-	
				Total	5550		
		(iii) HH Chatra- C	550	Sikid	1000	-do-	
			551	Sanghri	1000	-do-	
			552	Khuler	750	-do-	
			553	Nawada	800	-do-	
			554	Chatra	950	-do-	
			555	Bhang	1000	-do-	
				Total	5500		
		(iv) HH Chatra -D	557	Tapej	500	-do-	
			558	Utah	750	-do-	
			560	Ahari	500	-do-	
				Total	1750		
		(v) HH Rajpur -A	512	Panderkola	1450	-do-	
			515	Biwarlutudy	900	-do-	
				Total	2350		
		(vi) HH Rajpur -B	517	Sale	1500	-do-	
			514	Amedag	1600	-do-	
				Total	3100		
		(vii) HH Rajpur -C	516	Bhaipur	1500	-do-	
			513	Kolhaiya	2000	-do-	
				Total	3500		
		Total	26450				

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Simaria	(i) HH Simaria-A	531	Sheorajpur	1300	Hazaribagh/ Latehar -do- -do- -do- -do- -do- -do- -do- -do- -do- -do-	
			533	Jabra	1050		
			Total		2350		
		(ii) HH Simaria-B	534	Salgi	1200		
			535	Kasari	1000		
			536	Kendu	650		
		Total		2850			
		(iii) HH Simaria-C	532	Bagra	1200		
			537	Role	450		
			538	Tutilawa	500		
		Total		2150			
		(iv) HH Simaria-D	539	Ichakhurd	1050		
			540	Banhe	650		
		Total		1700			
(v) HH Simaria-E	541	Piri	1150				
	542 k	Meral (K)	500				
	542 kh	Meral (Kh)	500				
Total		2150					
Total		11200					
10	Kunda	(i) HH Kunda –A	506	Bane	1700	Daltonganj -do- Daltonganj -do- Daltonganj -do-	
			508	Kunda	2400		
		Total		4100			
		(ii) HH Kunda-B	507	Lotwa	1750		
			510	Pejni	1550		
		Total		3300			
		(iii) HH Kunda -C 1	523	Tungan	2200		
			Total		2200		
(iv) HH Kunda- C 2	524	Jobiri	1600				
	Total		1600				
Total		11200					
Total		205850					

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yeild (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pakur	(i) HGD Hiranpur -A	774	Shimonlong	950	Amarpur	
				Total	950		
		(ii) HGD Hiranpur -B	775	Kunjbana	900	Pakur	
				Total	900		
		(iii) HGD Hiranpur -C	776	Surma	1000	-do-	
			778	Litipara-Surajbera	800	-do-	
				Total	1800		
		(iv) HGD Hiranpur -D	777	Dharpur	900		
				Total	900		
		(v) HGD Amrapara -A	779	Alubera	1200	-do-	
				Total	1200		
		(vi) HGD Amrapara -B	780	Amrapara	950	-do-	
			781	Tasariya	450	-do-	
				Total	1400		
(vii) HGD Amrapara -C	782	Dumarchir	1000	-do-			
		Total	1000				
(viii) HGD Amrapara -D	783	Parehcola	600	-do-			
	784	Dumaria	450	-do-			
		Total	1050				
			Total	9200			
7	Deoghar	(i) HGD Deoghar -A	820	Mohanpur	550	Deoghar	
			822	Manigarhi	150		-do-
				Total	700		
		(ii) HGD Deoghar- B	821	Koindih	1400	-do-	
			823	Punasi	1200	-do-	
				Total	2600		
		(iii) HGD Deoghar- C	824	Burhi	800	-do-	
			825	Jagdishpur	500	-do-	
				Total	1300		
		(iv) HGD Jamtara- A	826	Narayanpur	600	Deoghar	
			827	Kasta	850		-do-
				Total	1450		
		(v) HGD Jamtara- B	828	Kundhit	1350	-do-	
			829	Asna	850	-do-	
	Total		2200				
			Total	8250			
8	Dumka	(i) HGD Kathikund -A	754	Silingi	900	Dumka	
			755	Kushchira	1300		Kathikund
				Total	2200		
		(ii) HGD Kathikund -B	756	Gopi Kandar	1300	-do-	
			757	Karudih	500	-do-	
				Total	1800		
		(iii) HGD Kathikund -C	758	Saldaha	1000	-do-	
			759	Kathikund - Jhilmili	750	-do-	
				Total	1750		
		(iv) HGD Kathikund -D	760	Pusaldih	300	-do-	
			761	Narganj	650	-do-	
			762	Mahuagarhi	250	-do-	
				Total	1200		
		(v) HGD Hijala (East)-A	785	Ranibahal	500	-do-	
			786	Raghunathpur	650	-do-	
			787	Bhanbasa	750	-do-	
				Total	1900		
		(vi) HGD Hijala (East)- B	788	Rajbandh	550	-do-	
790	Shikaripara		750	-do-			
	Total		1300				

Sl. No.	Name of M.F.P. Range	Name of Territorial Range/ Part Territorial Range	Number & Name of old units as notified in Bihar Gazette vide No. 2 S.O. dated 28.11.84		Notified Yield (in standard Bags)	Places where storage is proposed	Remarks
			Number	Name			
1	2	3	4	5	6	7	8
		(vii) HGD Hijala (West) -A	789	Baskali	1350	-do- -do- -do- -do- -do- -do- -do- -do-	
				Total	1350		
		(viii) HGD Hijala (West)- B	791	Rangmasalia	800		
			792	Chot	450		
				Total	1250		
		(ix) HGD Hijala (West)- C	793	Haripur	700		
			794	Tasaria	700		
				Total	1400		
		(x) HGD Hijala (West)-D	795	Guhiajore	450		
			796	Nonihat	650		
	797	Jarkundi	150				
	798	Sariahat	500				
		Total	1750				
		Total	15900				
9	Godda	(i) HGD Sunder Pahari- A	763	Sunder Pahari	1250	-do-	
				Total	1250		
		(ii) HGD Sunder Pahari- B	764	Chandna	800	Semra	
				Total	800		
		(iii) HGD Godda- A	765	Bramasia	800	Semra	
				Total	800		
		(iv) HGD Godda-B	766	Bhalijori	650	-do-	
				Total	650		
		(v) HGD Semra -A	767	Semra	1100	-do-	
			768	Saharpur	700	-do-	
				Total	1800		
		(vi) HGD Semra -B	769	Haripur	1400	-do-	
				Total	1400		
		(vii) HGD Semra -C	771	Telogorial	1250	-do-	
	772	Rajbhatti	750	-do-			
	773	Karmatanr	1050	-do-			
		Total	3050				
		Total	9750				
		Grand Total	116400				

ABSTRACT

Sl. No.	Name of Division	No. of MFPP Range	No. of Units	No. of Territorial Range/part territorial range	Notified Yield (in Std. Bag)
1	Dhalbhum	6	95	46	102400
2	Ranchi	7	110	44	105900
3	Daltonganj	5	92	39	116200
4	Garhwa	7	137	36	149125
5	Hazaribagh	10	146	69	205850
6	Giridih	9	106	66	116400
	Grand Total	44	686	300	795875

Old Stock of Kendu Leaf

S. N.	Name of M.F.P Range	Name of Lot	Collection Year	Avaliable Stock in Godowns		Name and Address of Godown
				Actual Bags	Std.Bags	
1	2	3	4	5	6	7
Name of Division - Dhalbhum						
1	Chakradharpur	Seized	2016	26 (36 Bundal)	13.000 (520 KG)	Range Office, Chakradharpur
Name of Division - Ranchi						
1	Khunti	Seized	2017		163 (KG)	Range Office Campus, Tamar
2	Khunti	Seized	2017		122 (KG)	Range Office Campus, Tamar
3	Khunti	Seized	2017	16		Division Office Campus, Khunti
Name of Division - Hazaribagh						
1	Chauparan	Seized	2012	9	5.000	Chauparan Depo
2		Seized	2014	25	12.500	Van Prani Ashranayee Parishar. Danuwa
Name of Division - Giridih						
1	Sahebganj	HGD Barharwa A	2013	437	354.900	Sahakari Chawal Mill Godown, Bhagwan,Barharwa
2	Sahebganj	HGD Barharwa C	2002	483	264.820	Lampus Godown, Taljhari, Sahebganj

5- dJnw i Ukh fufonkdj dk djkj ukek

यह करारनामा आज दिनांक माह सन् को प्रथम पक्ष झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० जो इंडियन कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत निबंधित एक कम्पनी है और झारखण्ड राज्य में जिसका पंजीकृत कार्यालय, राँची में है तथा जिसे इसके आगे "निगम" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, इसके प्राधिकृत पदाधिकारी सहित पदोत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे, तथा द्वितीय पक्ष श्री आत्मज ग्राम एवं पोस्ट पुलिस थाना जिला जिन्हें इसके आगे "निविदाकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उसके जायज उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे के मध्य किया जाता है।

चूँकि केन्दू पत्ती का व्यापार बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम 1973 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और चूँकि झारखण्ड सरकार द्वारा निगम को सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य की समस्त केन्दू पत्ती इकाईयों/ प्रचयों के केन्दू पत्ती के संग्रहण एवं विपणन हेतु अधिकृत किया गया है,

और चूँकि वन निगम विभिन्न इकाईयों के केन्दू पत्तों का निविदा द्वारा निवर्तन करना चाहता है और चूँकि वन निगम उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए सम्भावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा का निष्पादन करवाना चाहता है।

अतएव यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत या विधिक संस्थान एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर व्यापार करार करते हैं :-

(1) मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम 1973 के समस्त उपबंधों/उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों तथा उपरोक्त निविदा सूचना में संलग्न करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

(2) मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम निविदाएँ खुलने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूँगा/लेंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा स्वीकार सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तबतक बाध्य रहूँगा/रहेंगे, जबतक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस इकाई के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता।

(3) मेरे/हमारे द्वारा इस करारनामों की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वधीन रहूँगा/रहेंगे जैसा कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन लागू होगी।

(4) मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम व्यतिक्रमी क्रेता (Defaulting Purchase) नहीं रहा हूँ/नहीं रहे हूँ/हैं और न ही मुझे/हमें कृष्णचिन्हित किया गया है। इस संबंध में मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना/घोषणा के गलत पाये जाने पर वन निगम मेरे/हमारे निविदा/अर्पण की मान्यता समाप्त कर सकता है।

(5) इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायेगा कि वह बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम 1973 के और उनके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या ल०व०प०प०..... (वि०) एवं ल०व०प०प०..... (वि०) विस्तृत से संबंधित बिक्री की शर्त एवं बंधेजों के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और उसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अधधीन है।

नोट :- चूँकि यह दस्तावेज ई-निविदा प्रक्रिया के तहत digital signature द्वारा समर्पित किया जा रहा है अतः इसमें निविदाकार अथवा वन निगम के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर (Physical signature) अपेक्षित नहीं है।